रजिस्ट्री सं. डी-(डी एन)—128/90 REGISTERED NO. D—(DN)—128/90

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 49] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 8, 1990 (अग्रहायण 17, 1912)
No. 49] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 8, 1990 (AGRAHAYANA 17, 1912)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

बम्बई, दिनांक 12 नवंबर 1990

क्र० सं० एसबीओ 17/1990—इसके द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 25 की उप धारा (1) के अनुच्छेद (ग) के अनुसार भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ विचार विमर्श के बाद भारतीय स्टेट बैंक श्री शिव प्रसाद वर्मा के स्थान पर प्रो० (डा०) श्याम लाल, डिपार्टमेंट आफ सोशियोलोजी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के निदेशक पद पर तीन वर्ष की अवधि दिनांक 19 नवंबर 1990 से 18 नवंबर 1993 (दोनों दिन सम्मिलित) तक के लिए नामित करता है ।

ह० अपठनीय
अध्यक्ष

यूको बैंक

कार्मिक विभाग

कलकत्ता-700001, दिनांक 22 नवम्बर 1990

सा०का०नि०—बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम 1970 (1970 का 5) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूको बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से यूको बैंक अधिकारी संवर्ग के कर्मचारी (आचरण) विनियम 1976 में आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है—

2. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ : (1) इन विनियमों का नाम यूको बैंक अधिकारी संवर्ग के कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम 1990 होगा ।

(2) ये विनियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

3. यूको बैंक अधिकारी संवर्ग के कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1976 के—

(क) विनियम 6 के उपविनियम 4 में "अधिकारी संवर्ग का . . . . कर्मचारी" शब्दों के बाद आने वाले शब्द "कर सकेगा" के स्थान पर शब्द "करेगा" प्रतिस्थापित किया जाएगा; और

(ख) विनियम 21 के परन्तुक में "ऐसी कार्रवाई के सम्बन्ध में" शब्दों के स्थान पर शब्द "अपने द्वारा की गई ऐसी कार्रवाई की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

शुद्धि-पत्र

भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 8-7-89 के भाग III खंड IV में प्रकाशित दिनांक 19-6-1989 की अधिसूचना जी एस आर सं० 1/89 के शुद्धिपत्र के रूप में यह निर्दिष्ट किया जाता है कि दिनांक 19-6-89 की उपर्युक्त अधिसूचना को इस प्रकार संशोधित रूप में पढ़ा जाए

दिनांक 19 जून 1989

जी० एस० आर० 1/89—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 (1970 का 5) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूको बैंक का निदेशक मंडल यूको बैंक अधिकारी संवर्ग के कर्मचारी (आचरण) विनियम 1976 में आगे संशोधन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी से इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है ।

2. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन विनियमों को यूको बैंक अधिकारी संवर्ग के कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 1989 कहा जा सकेगा ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

3. यूको बैंक अधिकारी संवर्ग के कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1976 के विनियम 20 के उप विनियम (4) में संक्षेपाक्षर और अंक रु० 2500/- के स्थान पर संक्षेपाक्षर और अंक रु० 5000/- प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

एम० राम मोहन राव
महाप्रबंधक
(कार्मिक)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 21 नवम्बर 1990

सं० यू-16/53/90-चि० 2(प्र० व०) —कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23 मई, 1983 द्वारा ये शक्तियां आगे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा कलकत्ता की डा० (श्रीमती) एम० सरकार को विद्यमान मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर दिनांक 1-12-90 से 30-11-1991 तक या किसी पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक, इनमें से जो भी पहले हो, कलकत्ता केन्द्र के बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता में संदेह होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूं ।

डा० के० एम० सक्सैना
चिकित्सा आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 21 नवम्बर 1990

सं० एन० 18/13/11/4/88-यो० एवं वि० (2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 16-11-90 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा पंजाब कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ पंजाब राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जायेंगे ।

अर्थात्

क्र० सं०	राजस्व ग्राम का नाम	हद बस्त नं०
1	2	3
1.	तरफ जोधवाल	77
2.	सतोवाल	73
3.	फामरा	79
4.	जवादी	160
5.	डुगरी	277
6.	फूलनवाल	278

1	2	3
7.	कुलियावाल	178
8.	ताजपुर	182
9.	माहने वाल कलां	227
10.	माहने वाल खुर्द	228
11.	नन्द पुर	233
12.	धनदारी कलां	242
13.	गोबिन्दगढ	243
14.	कंगनवाल	245
15.	पावा	246
16.	नाट	247

सं० एन० 15/13/13/12/88—यो एवं वि०—(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य विनियम—1950 के विनियम 95—क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा—46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 16—11—90 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95—क तथा उ०प्र० कर्मचारी राज्य बीमा नियम—1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ उ०प्र राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमाकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जायेंगे ।

अर्थात् "जिला उन्नाव में उन्नाव नगर पालिका के अन्तर्गत आने वाले उन क्षेत्रों के सिवाय जहां उक्त व्यवस्था पहले ही लागू की जा चुकी है ।

दिनाक 23 नवम्बर 1990

सं एन० 15/13/13/4/88 यो० एवं वि०—(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य विनियम—1950 के विनियम 95—क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा—46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 16—11—90 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95—क तथा उ०प्र० कर्मचारी राज्य बीमा नियम—1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ उ०प्र० राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमाकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जायेंगे ।

अर्थात "जिला आगरा में फिरोजाबाद नगर पालिका के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र, उन क्षेत्रों के सिवाय जहां उक्त व्यवस्था पहले ही लागू की जा चुकी है" ।

अ०च० जुनेजा
निदेशक (योजना एवं विकास)

श्रम मन्त्रालय

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 19 नवम्बर 1990

स. . 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/8343—जहां मैसर्स हिन्दुस्तान कॉबिल्स लिमिटेड, डाक घर : हिन्दुस्तान कॉबिल्स, हैदराबाद-500051 (ए.पी./3729) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है। (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अत. उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्थापना को उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश ने स्कीम की धारा 28 (7) के अन्तर्गत छूट प्रदान की है, 1-5-88 से 28-2-90 तक की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-(क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन

किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

सं. एस. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/8390—जहां मैसर्स जिन्दल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, दिल्ली रोड, माडल टाउन, हिसार-125005 (कोड नं. पी.एन./1483) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल हैं। (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्थापना को उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, फरीदाबाद ने स्कीम की धारा 28 (7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की थी, 1-3-88 से 28-2-90 तक की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-(क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक

बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अंतर के बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख से भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

दिनांक 21 नवम्बर 1990

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-I/8468—जहां अनुसूची-I में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. साम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मन्त्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी.एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 28-2-90 तक की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जैसा कि संलग्न अनुसूची-1, में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है।

अनुसूची—1

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	स्थापना को छूट बढ़ाने के लिए भारत सरकार के अधिसूचना की संख्या तथा तिथि	पहले से प्रदान की गई छूट की समाप्ति की तिथि	अवधि जिस के लिए और छूट दी गई है	के० भ० फा० सं०
1.	मैसर्स दी टाटा हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर सप्लाई कं० लि० बम्बई हाऊस, 24, होमी मोदिक स्ट्रीट, फोर्ट, बम्बई-400023	एम.एच./9080	एस-35014(315)82-पी०एफ०-II (एस० एस० II), दिनांक 1-5-86	7-1-89	8-1-89 से 28-2-90	2/258/79-डी० एल० आई०
2.	मैसर्स हिन्दुस्तान कोको क्याडबरी हाऊस (1), भूलाभाई देसाई रोड, बम्बई-400026	एम.एच./4258	एस-35014(169)82-पी०एफ०-II (एस०एस० II), दिनांक 7-2-86	25-9-88	25-9-88 से 28-2-90	2/580/81-डी० एल० आई०
3	मैसर्स हिन्दुस्तान कोका क्याडबरी हाऊस (1) भूलाभाई देसाई रोड, बम्बई 400026	एम.एच./5067	एस-35014(179)82-पी०एफ० II (एस०एस० II), दिनांक 7-2-86	17-9-88	18-9-88 से 28-2-90	2/580/81-डी० एल० आई०
4.	मैसर्स नवरंग डायिंग प्रा० लि०, 373, गिरगाम रोड, पहली मजिल, बम्बई-400002	एम.एच./8136	एस-35014(120)84-एस०एस०-II, दिनांक 23/24-11-84	22-11-87	23-11-87 से 28-2-90	2/1083/84-डी० एल० आई०
5.	मैसर्स बम्बई इलैक्ट्रिक सप्लाई एण्ड ट्रान्सपोर्ट अण्डरटेकिंग, बेस्ट हाउस, पी०बी० न० 192, बम्बई-39	एम.एच./1568	एस-35014(58)85-एस०एस०-II दिनांक 27-3-85	26-3-88	27-3-88 से 28-2-90	2/371/80-डी० एल० आई०
6.	मैसर्स इण्डियन एक्सप्रेस, न्यूजपेपर बम्बई प्रा० लि०, एक्सप्रेस टावर, नरीमन प्वाइंट, बम्बई-400021	एम.एच./1195	एस-35014(5)86-एस० एस०-II, दिनांक 14-2-86	13-2-89	14-2-89 से 28-2-90	2/1260/85-डी० एल० आई०

अनुसूची-।।

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-(क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सदेय राशि उस राशि से कम हो जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन भूत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

म. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-।/8475—जहां अनुसूची-। में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है), कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी.एन. सोम, प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने (अनुसूची-। में) उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी, जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, तिरुचिरापल्ली ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 28-2-90 तक की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं ।

अनुसूची-I

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	छूट की प्रभावी तिथि	के० आ० फा० सं०
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मैसर्स एल० जी० बालाकृष्णनन् एण्ड ब्रदर्स लि०, कोयम्बटूर रोड, करूर-639002 तथा इसकी शाखाएं मैसर्स एल० जी० बालाकृष्णनन्, एण्ड ब्रदर्स लि०, थेनी रोड, मदुरै, डिन्डिगुल, सलेम एण्ड रजि० आफिस : इण्डिया हाऊस, त्रिची रोड, कोयम्बटूर 641018	टी० एन०/979	1-3-85 से 28-2-90	2/1196/85-डी० एल० आई०
2.	मसर्स वनासिल ड्रग एण्ड केमिकल्स लि०, कुडीकाडू पोस्ट,पी०ओ० कुड्डालोर-607003 तथा शाखा 20, साउथ लैथ कास्टल रोड, सन्थोम, मद्रास-600028	टी०एन०/17523	1-11-88 से 28-2-90	2/2442/90—डी० एल० आई०

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-(क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10 यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उस मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों को संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/की. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-I/8482—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

और श्री. बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप संबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची II में उल्लिखित शर्तों के अनुसार श्री. बी. एन. सोम, प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने (अनुसूची-1 में) उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कोयम्बटूर ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत छूट प्रदान की है, 28-2-90 तक की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता है ।

अनुसूची—I

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	छूट की प्रभावी तिथि	के० आ० फा० सं०
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मैसर्स शक्ति फाइनान्स लि०, 475, डा० नान्जप्पा रोड, पोस्ट बाक्स नं० 3745, कोयम्बटूर-641018 तथा इसकी शाखाएं तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा नई दिल्ली पर है।	टी० एन०/4675	1-8-88 से 28-2-90	2/3258/90-डी० एल० आई०
2.	मैसर्स तिरुचेंगोडे को-आप० मार्केटिंग सोसायटी लि०, नं० एस० 351, पोस्ट बाक्स नं० 26, तिरुचेंगोड-637211, सलेम, जिला तथा हैड आफिस तिरुचेंगोड, इसकी शाखाएं कोंगानापुरम तथा मल्लासमुद्रम पर।	टी० एन०/5943	1-12-87 से 28-2-90	2/3259/90-डी० एल० आई०
3.	मैसर्स वीजय सेन्टेक्स (प्रा०) लि०, 8, ए० टी० टी० कालोनी, कोयम्बटूर-641018	टी०एन०/21311	1-8-89 से 28-2-90	2/3260/90-डी० एल० आई०

अनुसूची—II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा

प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना को भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में सदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख से भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी., एल. आई./एक्जाम/89/भाग-I/8489—जहां अनुसूची-I में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है। (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मन्त्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 28-2-90 तक की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जैसा कि संलग्न अनुसूची-I, में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है ।

अनुसूची-I

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	स्थापना की छूट बढ़ाने के लिए भारत सरकार के अधिसूचना की संख्या तथा तिथि	पहले से प्रदान की गई छूट की समाप्ति की तिथि	अवधि जिसके लिए और छूट दी गई है	के० आ० फा० सं०
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	मैसर्स एम० आर० एफ० लि०, पोस्ट बाक्स सं० 3760, 827, अन्नासलाई, मद्रास-2	टी०एन०/347 ए	2/1959/डी० एल० आई०/ एक्जम/89/पार्ट-I दिनांक 18-9-89	31-1-90	1-2-90 से 28-2-90	2/2009/89-डी० एल० आई०
2.	मैसर्स रानें (मद्रास) लि०, 61, बेलाचेरी रोड, मद्रास-600032	टी०एन०/1142	एस/35014(205)86 पी० एफ० II(एस०एस० II), दिनांक 16-7-86	15-7-89	16-7-89 से 28-2-90	2/1470/86-डी० एल० आई०
3.	मैसर्स गेस्ट केन वील्यम्स लि०, 76, परवेन रोड, अम्मोर, मद्रास-8	टी०एन०/3768	एस-35014(74)82 पी०एफ० II(एस० एस० II), दिनांक 23-10-86	24-9-88	25-9-88 से 28-2-90	2/558/81-डी० एल० आई०
4.	मैसर्स डब्ल्यू० एस० इन्सुलेटर (इंडिया) लि०, पोरूर, मद्रास	टी०एन०/5839	2/1959/डी० एल आई०/ एक्जम/89 भाग-I/818, दिनांक 4-10-89	31-1-90	1-2-90 से 28-2-90	2/2548/90-डी० एल० आई०
5.	मैसर्स डिजाइन्स एण्ड प्रोटोटाइप्स, एल 24, डा० विक्रम साराभाई इन्स-ट्रोनिक्स इस्टेट, थिरुवन्मीयूर, मद्रास-41	टी०एन०/16023	एस-35014(100)86 एस०एस० II, दिनांक 10-3-86	9-3-89	10-3-89 से 28-2-90	2/1393/86-डी० एल० आई०
6.	मैसर्स सुन्दरराजा मिल्स लि०, तट्टूंगाइ-609603, माइलादूथुरै, आर०एम०एस० पाडिचेरी जिला	पी०सी०/66	2/1959/डी०एल० आई० एक्जम/89/पार्ट-I/628-32, दिनांक 19-1-90	31-12-89	1-1-90 से 28-2-90	2/2453/90-डी० एल० आई०

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन

किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7 सामूहिक बीमा स्कीम किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिश/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख से भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

संख्या 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-I/8496—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप-धारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मन्त्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम को सामने दर्शायी गयी है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 28-2-90 तक की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में, उनके नाम के सामने दर्शाया गया है ।

अनुसूची—I

क्र० सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड सं०	स्थापना की छूट बढ़ाने के लिए भारत सरकार की अधिसूचना की संख्या तथा तिथि	पहले से प्रदान की गई छूट की समाप्ति की तिथि	अवधि जिसके लिए और छूट दी गई है	के० आ० फा० नं०
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	मैसर्स इलैक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०, चेरापल्ली, हैदराबाद-500762	ए०पी०/3260	एस-35014(105)81-पी०एफ० II, एस० II, दिनांक 20-2-85	19-3-88	20-3-88 से 28-2-90	2/22/76-डी० एल० आई०
2.	मैसर्स आन्ध्र प्रदेश इण्डस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन लि०, 6ठी मंजिल, परिश्रमा भवन, बशीरबाग, हैदराबाद ।	ए०पी०/7036	एस-35014(129)83-पी०एफ०-II, दिनांक 20-2-86	20-7-89	21-7-89 से 28-2-90	2/897/83-डी० एल० आई०

अनुसूची II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खंड-(क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अन्तर के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों

के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

संख्या : 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/8503—जहां मैसर्स सलम इण्डस्ट्रीयल प्लास्टिक्स थेप्पाकुलम स्ट्रीट, मल्लासामुद्रम—637503, सलम डिस्ट्रीक्ट, (कोड संख्या : टी.एन./10923), ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है। (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्थापना को उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कोयम्बटूर ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 28-2-90 तक की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं। (दिनांक 1-9-88 से 28-2-90)।

अनुसूची

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-(क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय

राशि उस राशि से कम हो जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिस स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख से भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

दिनांक 22 नवम्बर 1990

सं० सम्मेलन 5(3)87/बिहार/8517—कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम 1952 के पैरा 5 के साथ पठित पैराग्राफ 4 के उप पैराग्राफ (1) के अनुसरण में केन्द्रीय न्यासी बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि एतद्द्वारा केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा दिनांक 17-5-90 को जारी की गई अधिसूचना संख्या सम्मेलन 5(3)87/बिहार में निम्नलिखित संशोधन करते हैं —

उक्त अधिसूचना में क्रम सं 2 के सामने
विशेष सचिव श्रम योजना एवं प्रशिक्षण विभाग,
बिहार पटना)
के स्थान पर
अपर सचिव,
श्रम योजना एवं प्रशिक्षण विभाग,
बिहार (पटना)
प्रति स्थापित किया जाए ।

बा० ना० सोम
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

छावनी बोर्ड इलाहाबाद छावनी

इलाहाबाद 14 नवम्बर 1990

सं का०नि०आ टी-51/सी टी/1474—इलाहाबाद छावनी की सीमाओं के भीतर सफाई पर अधिरोपित करने के बारे में एक सार्वजनिक सूचना का प्रारूप छावनी अधिनियम 1924 (1924 का 2) की धारा 61 की अपेक्षानुसार छावनी बोर्ड की सूचना सं० टी-51/सी टी/690 दिनांक 7 जून 1990 के साथ प्रकाशित किया गया था और उक्त सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन की अवधि समाप्त होने तक उसके बारे में आक्षेप व सुझाव मांगे गये थे ;

और उक्त सूचना तारीख 7 जून 1990 को छावनी बोर्ड के सूचना पट पर लगाई गई थी;

और जनता से प्राप्त आक्षेप व सुझाव पर छावनी बोर्ड द्वारा पूर्ण रूप से विचार किया ।

अतः छावनी बोर्ड इलाहाबाद उक्त अधिनियम की धारा 60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से इलाहाबाद छावनी की परिसीमाओं में सभी भूमि व भवनों पर उनके वार्षिक मूल्यांकन के 2% की दर से सफाई कर आरोपित करता है ।

प्रतिबन्ध यह है कि उपरोक्त कर छावनी बोर्ड तथा केन्द्रीय सरकार के भूमि व भवनों पर आरोपित न होगा ।

र०स०म०नि० पत्र संख्या 53/12/सी/डीई/90

जगदीश पाण्डेय,
छावनी अधिशासी अधिकारी
इलाहाबाद छावनी

दिल्ली विश्वविद्यालय

वार्षिक लेखा एवं परीक्षा प्रतिवेदन 1988-89

दिनांक 30 अगस्त 1990

सं० आई० ए० /29380— दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम 1922 (अधिनियम VIII, 1922) की धारा 39 (2) के अंतर्गत जरूरी सूचना प्रदान करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्ष 1988—89 के वार्षिक लेखों और उनकी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट प्रकाशित की जा रही है।

ह० अपठनीय
कुल सचिव

लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र

मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के 31 मार्च 1989 को समाप्त वर्ष के प्राप्ति तथा भुगतान लेखे/आय तथा तथा व्यय लेखे तथा 31 मार्च, 1989 के तुलन-पत्र की जांच कर ली है। मैंने सभी अपेक्षित सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये हैं तथा संलग्न लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में दी गई अभ्युक्तियों के अधीन रहते हुए अपनी लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप मैं प्रमाणित करता हू कि मेरी राय में तथा मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा मुझे दिये गये स्पष्टीकरण तथा संगठन की बहियों में दर्शाये गये उल्लेखों के अनुसार ये लेखे और तुलन पत्र उपयुक्त रूप से तैयार किये गये हैं तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का सही और उचित रूप प्रस्तुत करते हैं।

धर्मवीर,
प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षा-I
केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली—2

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 4—5—90

वर्ष 1988—89 के लिये दिल्ली विश्वविद्यालय पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1. प्रस्तावना

दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना, शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में अनुदेश तथा अनुसन्धान करने, डिग्रियां प्रदान करने तथा उसी उद्देश्य के लिये कालेज, हाल तथा संस्थाओं की स्थापना तथा अनुरक्षण के मुख्य उद्देश्य से, मई, 1922 में की गई थी। विश्वविद्यालय का वित्तपोषण मुख्यतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि० अ० आ०) से प्राप्त अनुदानों द्वारा किया जाता है। वर्ष 1988—89 के दौरान विश्वविद्यालय ने 2886.93 लाख रु० (योजनेत्तर के रूप में 2514.41 लाख रु०, योजनागत के रूप में 326.08 लाख रु० तथा विविध लेखे पर 46.44 लाख रु०) अनुदान के रूप में प्राप्त किये।

विश्वविद्यालय के लेखे नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधिनियम 1971 (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) की धारा 19(2) के अन्तर्गत लेखा परीक्षित किये जाते हैं। विश्वविद्यालय के वर्ष 1988—89 के वार्षिक लेखे में विश्वविद्यालय तथा उसकी प्रैस के प्राप्ति तथा भुगतान लेखे का सार, विश्वविद्यालय का आय तथा व्यय लेखा, उसकी प्रैस का लाभ तथा हानि लेखा तथा विश्वविद्यालय तथा उसकी प्रैस का 31—3—1989 का तुलन-पत्र शामिल है।

2. लेखे पर टिप्पणी

2.1 सभागारों/छात्रावासों के वार्षिक लेखे समेकित करके विश्वविद्यालय के मुख्य लेखे में समाविष्ट नहीं किये गये थे। लेखा-परीक्षा संवीक्षा तथा प्रमाणीकरण के लिये अनुरक्षित संस्थानों/महाविद्यालयों के सम्बन्ध में वार्षिक लेखे अभी तक समेकित करके विश्वविद्यालय के मुख्य लेखे में समाविष्ट नही किये गये थे।

विश्वविद्यालय ने अगस्त 1989 में बताया कि विश्वविद्यालय के वर्ष 1988—89 के लेखे सभागारों/छात्रावासों तथा अनुरक्षित संस्थानों/महाविद्यालयों से उनके लेखे प्राप्त न होने के कारण उन लेखों को समाविष्ट किये बिना ही बन्द कर दिये गये थे। अनुरक्षित संस्थानों/महाविद्यालयों के लेखे की प्रस्तुति में विलम्ब कुछ और समय तक बने रहने की आशा थी।

2.2 परिसंपत्तियों का मूल्यांकन तथा सत्यापन

तुलन-पत्र के अनुसार मार्च 1989 के अन्त तक प्राप्त परिसंपत्तियों का कुल मूल्य 4383.01 लाख रु० था, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :—

क्रम सं०	परिसम्पत्ति का प्रकार	परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य (लाख रु० में)
1.	भूमि	121.27
2.	भवन	1,401.29
3.	फर्नीचर तथा उपकरण	1,481.42
4.	वाहन	19.46
5.	विज्ञान उपकरण	146.95
6.	पुस्तकें तथा सामयिकी	1,211.21
7.	खेल-कूद उपकरण तथा ट्राफी	1.41
	जोड़	4,383.01 लाख रु०

तुलन-पत्र में दर्शाई गई परिसंपत्तियों के मूल्य सत्यापन योग्य नहीं थे क्योंकि विश्वविद्यालय ने न तो कोई केन्द्रीयकृत परिसम्पत्ति रजिस्टर अनुरक्षित किया था न ही इन शेषों का अपने 79 विभागों में अनुरक्षित किये गये स्टाक रजिस्टरों में उनके मूल्य के जोड़ के साथ मिलान किया था।

विभागीय स्टाक रजिस्टरों में भी उनमें प्रविष्ट समस्त परिसंपत्तियों की प्रगामी कुल लागत निहित नहीं थी।

समस्त भवनों के ब्यौरे विश्वविद्यालय के इंजीनियरी विभाग में अनुरक्षित सम्पत्ति रजिस्टर में प्रविष्टि किये जाने अपेक्षित थे लेकिन समस्त भवनों के कुल मूल्य सम्पत्ति रजिस्टर में प्रविष्ट नहीं किये गये थे। इसके अतिरिक्त, रजिस्टर में प्रविष्ट समस्त भवनों की कुल लागत तुलन-पत्र दर्शाये जा रहे 1401.29 लाख रु० के प्रति 1262.35 लाख रु० परिकलित की गई। अतः लेखे में दर्शाये गये परिसंपत्तियों के मूल्य को प्रमाणिक नहीं माना जा सका।

इसी प्रकार की अनियमितता के बारे में वर्ष 1987–88 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में संकेत किया गया था, लेकिन अनियमितता अभी तक बनी हुई थी। विश्वविद्यालय ने दिसम्बर 1989 में बताया कि सम्पत्ति रजिस्टर पूर्ण किया जा रहा था। (ii) वर्ष में एक बार अपेक्षित रूप में किया जाने वाला परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन वर्ष 1988–89 के दौरान 16 विभागों में नहीं किया गया था। 16 विभागों में से 13 विभागों का प्रत्यक्ष सत्यापन कभी भी नहीं दिया गया था।

विश्वविद्यालय ने जनवरी, 1990 में बताया कि लेखा परीक्षा द्वारा संकेत दिये गये 16 विभागों में से, 7 विभागों में प्रत्यक्ष सत्यापन अपेक्षित नहीं था क्योंकि उनके प्रभार पर भण्डार की कोई मद नहीं थी तथा उन 7 विभागों में फर्नीचर आदि की मदें साउथ कैम्पस के मुख्य भण्डार के प्रभारांधीन थीं। शेष 9 विभागों में से 6 विभागों के भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन पूरा किया जा चुका था। शेष 3 विभागों में सत्यापन का कार्य प्रगति पर था।

2.3 भविष्य निधि लेखा

31–3–89 को विश्वविद्यालय के तुलन-पत्र में देयता पक्ष की ओर "भविष्य निधि लेखे" शीर्ष के अन्तर्गत 2172.90 लाख रु० का शेष दर्शाया गया था। इस राशि को सत्यापित नहीं किया जा सका और न ही भविष्य निधि के लेखे में सही देयता का पता लग सका क्योंकि भविष्य निधि की ग्राउण्डशीटों को पूरा करने तथा समन्वित करने से संबंधित कार्य 1982–83 से इस तथ्य के बावजूद बकाया में था कि इसके लिये जुलाई 1978 में एक विशेष सैल गठित किया गया था। 1981–82 के अन्त में लेखा आंकड़ों तथा व्यक्तिगत लेखों के शेषों के जोड़ के बीच 323841.78 रु० का अंतर था जिसके ब्यौरे उपलब्ध नहीं थे। इसके अतिरिक्त कुल प्राप्तियों में वर्ष 1981–82 के दौरान लेखा आंकड़ों तथा अभिदाताओं के व्यक्तिगत लेखों के शेषों के जोड़ के बीच 231919.52 रु० का अंतर था जिसका अभी तक पता लगाया जाना था। विश्वविद्यालय ने दिसम्बर 1989 में बताया कि समायन का कार्य किया जा रहा था तथा अन्तरों के समाधान के लिये विशेष निगरानी रखी जा रही थी।

2.4 अन्य जमा लेखे

31 मार्च 1989 को तुलन पत्र के देयता-पक्ष की ओर "अन्य जमा लेखे" शीर्ष के अन्तर्गत 1.08 लाख रु० की राशि दर्शायी गई थी। यह राशि वेतन बिलों, जमाओं में कटौतियों, अन्य निकायों/योजनाओं से प्राप्त अनुदानों तथा अन्य जमाओं आदि से संबंधित लेन-देनों के निवल प्रभाव को निरूपित करती थी।

इस प्रकार के लेन-देनों के लिये अनुरक्षित ब्राडशीट की संवीक्षा में निम्न प्रकट हुआ :

(1) 31 मार्च 1989 को इन शीर्षों के प्रति शेष निम्न प्रकार थे :

क्रम सं०	शीर्ष का नाम	31-3-1989 को शेष
		(रु०)
1.	जमा	5,25,073.74
2.	अनुदान	(–) 28,17,825.98
3.	अन्य योजनाएं	(–) 1,78,604.58
4.	अन्य जमा	23,16,515.13
5.	वेतन बिलों में कटौतियां	2,62,417.51
	जोड़	1,07,575.82

जैसा कि 1984–85 से 1987–88 तक के लेखा परीक्षक प्रतिवेदनों में पहले ही टीका टिप्पणी की जा चुकी थी, देय राशि को तुलन-पत्र के देयता पक्ष में तथा वसुली योग्य राशि को परिसम्पत्ति पक्ष में दर्शाया जाना चाहिये। लेकिन डेबिट शेषों को उपशीर्ष "अनुदान" के रूप में तथा "अन्य योजनाओं" को घटा देताओं के रूप में दर्शाया जाना जारी रहा।

आगे, उपर्यक्त शीर्षों के अन्तर्गत शेषों का संबंधित लेजरों में दर्शाये गये शेषों के साथ सत्यापन नहीं किया जा सका क्योंकि लेजर अनुरक्षित नहीं किये गये थे।

II. 31 मार्च, 1989 को तुलन-पत्र के "अन्य जमा लेखे" की अनुसूची में इस लेखे के प्रत्येक उपशीर्ष के अन्तर्गत दर्शाये गये वास्तविक निवल शेषों का पता लगाने के लिये "देय राशि तथा वसूली योग्य राशि" के ब्यौरे नहीं दर्शाये गये थे।

2.5 बकाया अग्रिम

संभरकों को भण्डार, उपकरण, भवन सामग्री की खरीद के लिये, विश्वविद्यालय विभागों को सम्मेलन, संगोष्ठियों के आयोजन, सीमाशुल्क के भुगतान, विदेशों से प्लांट, उपकरण तथा केमिकल आयात करने के लिये, साख-पत्रों खुलवाने के लिये अग्रिम रूप में प्रदत्त 165.33 लाख रु० की राशि 31 मार्च 1989 को बकाया थी, जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

क्रम सं०	श्रेणी	31–3–1989 को शेष (रु० में)
1.	भवन	12,31,127
2.	फर्नीचर तथा उपकरण	58,17,725
3.	विज्ञान उपकरण	3,92,998
4.	पुस्तकें तथा सामयिकी	4,485
5.	अनुसन्धान योजनायें, सेमीनार शिक्षा वृत्तियां	48,53,078
6.	संबंधित वर्षों के आय तथा व्यय लेखे में प्रभारित अन्य अग्रिम	42,34,017
		1,65,33,430

उपर्यक्त राशि में से 19,22,555 रु० राशि के अग्रिम 1987–88 तक के पिछले वर्षों से संबंधित थे। यह अग्रिम उस वित्तीय वर्ष जिससे यह दिये गये थे के समाप्त होने से पहले समायोजित किये जाने अपेक्षित थे। आगे स्वीकृत लेखा विधि प्रक्रिया के विपरीत ये अग्रिम लेखे के अन्तिम शीर्षों में प्रभारित किये गये थे। इस अनियमित प्रक्रिया पिछले लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में

भी टीका टिप्पणी की गई थी। विश्वविद्यालय ने दिसम्बर 1989 में बताया कि अन्तिम शीर्ष में अग्रिम प्रभारित करने की प्रक्रिया को न्यायोचित बनाने के लिये मामला मार्च 1989 में मंत्रालय को भेजा गया था। तथापि विश्वविद्यालय ने इन अग्रिमों, विशेष रूप से पिछले वर्षों के अग्रिमों के समायोजन न होने के कोई कारण सूचित नहीं किये। विश्वविद्यालय ने जनवरी 1990 में बताया कि दिसम्बर 1989 के अन्त में अग्रिमों की राशि को 165 लाख रु० से 80 लाख रु० तक नीचे लाया गया था।

(ख) (विश्वविद्यालय परीक्षाएं कराने के लिए विभिन्न महाविद्यालयों को दिए गये 33.96 लाख रू० की राशि के अग्रिम, समायोजन बिल प्रस्तुत न किये जाने के कारण बकाया थे, जिसके वर्षवार ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:.

वर्ष	राशि लाख रु० में
1981–82	0.61
1982–83	0.19
1983–84	0.23
1984–85	0.24
1985–86	0.96
1986–87	0.97
1987–88	5.10
1988–89	25.66
जोड़	33.96 लाख

2.6 प्राप्त योग्य राशि

तुलन-पत्र के परिसम्पत्ति पक्ष में प्राप्ति योग्य राशि के रूप में दर्शाई गई 4.51 लाख रु० की राशि में विद्यार्थियों से प्राप्त शुल्क के 0.08 लाख रु०, संगणक केन्द्र से प्राप्य 1.77 लाख रु०, निवासीय आवास के आबंटियों से वसूली योग्य लाइसेंस शुल्क आदि के 1.57 लाख रु० तथा अतिथि गृह तथा रायल्टी प्रभारों के क्रमशः 0.67 लाख रु० तथा 0.42 लाख रु० शामिल हैं। 0.42 लाख रु० की रायल्टी की वसूली एक प्रकाशक से 1978–79 से बकाया थी, मामला मध्यस्थ के पास था। विश्वविद्यालय ने जनवरी 1990 में सूचित किया कि लाइसेंस शुल्क तथा अतिथि गृह की वसूली योग्य राशि क्रमशः 0.73 लाख रु० तथा 0.56 लाख रु० तक नीचे आ गई थी।

2.7 ब्राडशीटों का अनुरक्षण न किया जाना

31 मार्च 1989 को तुलन-पत्र के परिसम्पत्ति पक्ष में निम्नलिखित दर्शाये गए :—

क्रम सं०	शीर्ष	राशि (रु० में)
1.	गृह निर्माण ऋण	5,43,76,172
2.	वाहन ऋण योजनेत्तर में से)	6,74,425
3.	वाहन ऋण (आवर्ती निधि में से)	4,18,029

गृह निर्माण ऋण के प्रति दर्शाई गई राशि की विशुद्धता को सत्यापित नहीं किया जा सका क्योंकि ब्राडशीट को बन्द किया जाना 1986–87 से बकाया में था।

इसी तरह वाहन ऋण (योजनेत्तर) के प्रति दर्शाई गई राशियों की विशुद्धता को सत्यापित नही किया जा सका क्योंकि वर्ष 1989–89 की ब्राडशीट को उचित ढंग से अनुरक्षित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त लेखा आंकड़ों तथा 1988–89 के अन्त में व्यक्तिगत लेखे के शेषों के जोड़ के बीच 1,47,294 रु० का अन्तर था जिसका अभी तक (अक्तूबर 1989) समधान नहीं किया गया था।

वाहन ऋण (आवर्ती निधि) के प्रति दर्शाई गई राशियों की विशुद्धता को सत्यापित नहीं किया जा सका क्योंकि प्रत्येक के प्रति प्राप्य शेषों को दर्शाने वाली ब्राडशीट अनुरक्षित नहीं की गई थी। विश्वविद्यालय ने दिसम्बर 1989 में बताया कि संकेत किया गया अन्तर समाधानाधीन था।

2.8 बैंक समाधान

विश्वविद्यालय के 76 बैंक लेखे हैं। मार्च 1989 तक बैंक समाधान विवरणों की पुनरीक्षा करने पर हैं बैंक पास बुकों तथा विश्वविद्यालय की रोकड़ पुस्तकों में दर्शाये गये शेषों के बीच अन्तर प्रकट हुआ जिसका समाधान नहीं किया गया था, जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं।

विवरण	3 वर्षों से अधिक अन्तर	के लिये बकाया 1–3 वर्षों के बीच (रु० लाखों में)	एक वर्ष से कम	जोड़
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. बैंक द्वारा क्रेडिट की गई लेकिन रोकड़ पुस्तकों में नहीं दर्शाई जा रही राशि	0.28	92.31	15.32	107.91
2. बैंकों को प्रेषित लेकिन बैंक पास बुकों में न दर्शाई जा रही राशि	0.36	17.11	9.35	26.82
3. चैक जारी किये गये लेकिन भुगताए नहीं गये	0.08	0.24	37.28	37.60
4. चैकों का भुगतान किया गया लेकिन रोकड़ पुस्तकों में नहीं दर्शाया गया	0.12	3.74	25.24	29.10
			जोड़	201.43

7 बैंकों लेखों के सम्बन्ध में बैंक समाधान बकाया में था।

विश्वविद्यालय ने दिसम्बर 1989 में बताया कि 131.34 लाख रु० राशि के अन्तरों का समाधान कर लिया गया था।

2.9 रोकड़ बहियों में घटा रूप में दर्शाए गए अन्त शेष

31–3–1989 को निम्नलिखित लेखों की रोकड़ बहियों में घटा शेष थे जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

क्रम सं०	लेखे का नाम	31–3–1989 को शेष (रु० में)
1.	अनुरक्षण अनुदान लेखा सं० II	(–) 2,43,930.88
2.	अनुरक्षण अनुदान लेखा सं० III	(–) 9,05,616.03
3.	बाह्य परीक्षार्थी सैल लेखा (सी० तथा आई०–325)	(–) 12,376.65
4.	विभागीय प्राप्ति लेखा सं०–445	(–) 80,476.65
5.	शिक्षा विभाग (योजनागत लेखा)	(–) 9,713.70

विश्वविद्यालय ने दिसम्बर 1989 में बताया कि ये मुख्य लेखे की सहायक रोकड़ बहियां हैं तथा तदनुरूपी निधियों को समय पर मुख्य लेखे से इन लेखों में अंतरित नहीं किया जा सकता। तथापि, बैंक में इन लेखों में पर्याप्त निधियां उपलब्ध थी तथा उसमें अधिक आहरण नहीं था।

3. विश्वविद्यालय प्रैस

विश्वविद्यालय 1971–72 से व्यापारिक तौर पर एक विभागीय मुद्रण प्रैस चला रही थी। 1987–88 तथा 1988–89 के वर्षों, जबकि अर्जित लाभ क्रमशः 4.00 लाख रु० तथा 0.52 लाख रु० था, को छोड़कर प्रैस घाटे में चल रही थी। 1988–89 तक संचयित घाटा निम्न प्रकार था :—

वर्ष	लाख रु० में
1981–82	6.92
1982–83	12.13
1983–84	12.82

वर्ष	लाख रु० में
1984–85	17.85
1985–86	9.73
1986–87	27.43
1987–88	23.46
1988–89	23.02

इस तरह के बाटे ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करके तथा विश्वविद्यालय के अन्य लेखे से निधियां अन्तरित करके पूरे किये जा रहे थे। 1988–89 के अन्त में ऋणों आदि की स्थिति निम्न प्रकार थी -

लेखे जिससे ऋण आदि प्राप्त किये गये :	राशि (लाख रु० में)
विविध लेखा	5.51
अनुरक्षण अनुदान	20 02
	25 53

ऋण की राशि 1984–85 में 13.08 लाख रु० से 1985–86 में 18.51 लाख रु० तक, 1986–87 में 23.43 लाख रु० 1987–88 में 24.68 लाख रु० तथा 1988–89 में 25.53 लाख रु० तक बढ़ गई थी ।

4. विश्वविद्यालय प्रैस की बकाया राशियां (वसूली योग्य)

31 मार्च, 1989 को विभागों, महाविद्यालयों तथा बाहरी पार्टियों आदि से वसूली योग्य प्रैस की राशियां 13.66 लाख रु० की थी जैसा कि नीचे दिया गया है :

वर्ष जिससे बकाया है	राशि (लाख रु० में)
1967–68 से 1980–81	1.81
1981–82	0.63
1982–83	0.14
1983–84	0.55
1984–85	0.56
1985–86	0.41
1986–87	0.25
1987–88	0.47
1988–89	8.84
	13.66

66 लाख रु० में से 4.43 लाख रु० की राशि विश्वविद्यालय तथा उसके विभागों के अलावा अन्य मांगकर्त्ताओं से वसूली योग्य थी । 1985–86 तक के पिछले वर्षों से संबंधित वसूलियों की प्रगति बहुत धीमी थी क्योंकि 31–3–1988 को 4.36 लाख रु० की राशि में से वित्तीय वर्ष 1988–89 के दौरान केवल 0.26 लाख रु० की राशि वसूल की जा सकी।

विश्वविद्यालय ने दिसम्बर 1989 में बताया कि 31–3–1989 को बकाया 13.66 लाख रु० में से, 31–10–1989 को 5.24 लाख रु० का शेष बचाते हुए 8.42 लाख रु० समायोजित किये गये थे। तथापि, यह देखा गया था कि 1985–86 तक बकाया की वसूली, जो कि 4.10 लाख रु० थी, की प्रगति बहुत कम थी।

5. संगणक केन्द्र—बकाया बिल

विश्वविद्यालय के पास एक संगणक था जिसका उसके द्वारा तथा भुगतान आधार पर अन्य प्राइवेट एजेंसियों द्वारा उपयोग किया जा रहा था। 31 मार्च, 1989 को अन्य प्राइवेट एजेंसियों तथा विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों/महाविद्यालयों से 1,77,170.12 रु० की राशि वसूली योग्य थी। इन बकाया बिलों का वर्षवार ब्यौरा निम्न प्रकार था :—

वर्ष	(राशि रु० में)
1972–73	13,776.80
1973–74	11,001.80
1974–75	9,674.19
1975–76	6,785.13
1976–77	5,441.66
1977–78	28,125.20
1978–79	22,661.38
1979–80	21,226.45
1980–81	20,705.55
1981–82	7,092.08
1982–83	7,981.53
1983–84	9,832.08
1984–85	7,406 24
1986–87	5,460.03*
सकल जोड़	1,77,170.12

*6/84 तथा 7/84 का बिल 22–1–1987 को किया गया। विशेष रूप से 1979–80 1981–82 से 1983–84 तक के पिछले वर्षों से संबंधित वसूलियों की प्रगति शून्य थी। 31 मार्च 1988 को बकाया 1,79,363.45 रु० में से वित्तीय वर्ष 1988-89 के दौरान केवल 2193.33 रु० की राशि की वसूली की गई थी।

विश्वविद्यालय ने दिसम्बर 1979 में बताया कि राशियों की वसूली के मामले संबंधित पार्टियों के साथ अनुनय किए जा रहे थे, लेकिन समय बीत जाने तथा अन्य कारणों की वजह से प्रत्युक्त तहत खराब था तथा कुछ बहुत पुरानी राशियां बट्टे खाते डाले जाने के लिये विचाराधीन थी।

6. अन्य अनियमितायें

6.1 भविष्य निधि में नियोक्ता अंशदान के सम्बन्ध में वि० अ० आ० को 3.18 करोड़ रु० की वापसी का न किया जाना

1–1–1986 से पूर्व सेवा आरंभ करने वाले वर्तमान कर्मचारियों ने समय-समय पर सामान्य भविष्य निधि एवं पेंशन एवं उपदान योजना के लिये विकल्प दिये थे। उन कर्मचारियों के मामले में जिन्होंने इस योजना के लिए कह दिया था, अंशदायी भविष्य निधि जमा उसके ब्याज के प्रति नियोक्ता का हिस्सा उनके लेखे में आहरित करके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वापिस किया जाना अपेक्षित था। विश्वविद्यालय ने उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में, जिन्होंने सामान्य भविष्य निधि एवं पेंशन के उपदान योजना के लिये विकल्प दिया था, नियोक्ता के अंशदान जमा उस पर ब्याज वापिस ले लिया तथा 31–3–1989 को इस लेखे में संचित कुल राशि 418.03 लाख रु० थी। वापिस की जाने वाली अंशदान की राशि में से वि० अ० आ० ने विश्व विद्यालय को वि० अ० आ० द्वारा अनुमोदित तीन करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर स्टाफ क्वार्टर (आवासीय योजना) के निर्माण पर अंशतः व्यय करने के लिये एक करोड़ रुपये उपयोग करने की अनुमति दी। तथापि, विश्वविद्यालय ने 31–3–1989 तक वि० अ० आ० की पूर्व अनुमति के बिना एक करोड़ रु० राशि के अनुमोदन के प्रति 171.92 लाख रु० का उपयोग किया तथा 246.11 लाख रु. की शेष राशि भी वापिस नहीं की थी। लेखे के अनुसार वास्तविक राशि 249.34 लाख रु० थी।

विश्वविद्यालय ने दिसम्बर 1989 में बताया कि वि० अ० आ० ने स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए एक दूसरे एक करोड़ रुपये के उपयोग हेतु विश्वविद्यालय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया था।

6.2 कर्मचारियों को 26.17 लाख रु० (लगभग) का अनियमित भुगतान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अप्रैल 1985 में वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायकों के वेतनमान में 380–560 रु० से 425–640 रु० तक संशोधन करने की संस्वीकृति इस शर्त पर प्रदान की कि कोई बकाया का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा यह वेतनमान

वर्तमान पदधारियों का व्यक्तिगत होगा तथा संशोधन को सैद्धान्तिक माना जायेगा। कार्यकारी परिषद ने दिनांक 1–10–1985 को हुई अपनी बैठक में विश्वविद्यालय के विभागों के वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायकों की तुलना में 425–640 रु० के संशोधित वेतनमान में महाविद्यालयों के वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायकों को रखने के आशय पर विचार किया। परिषद ने यह निश्चय किया कि विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों के वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक दिनांक 1–1–1973 से 425–640 रु० के संशोधित वेतनमान में इस शर्त पर रखे जायें कि कोई बकाया का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा यह एक सैद्धान्तिक संशोधन होगा। परिषद ने आगे यह निश्चय किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संशोधन को सैद्धान्तिक रूप में न माने जाने के अनुरोध के साथ लेकिन संबंधित पदाधिकारियों को दिनांक 1–1–1973 से बकाया का भुगतान करने के लिये प्रस्तावित किया जाये। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने फरवरी 1989 में दिनांक 1–1–1973 से वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायकों को बकाया का भुगतान करने के लिये विश्वविद्यालय के अनुरोध को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता पर खेद प्रकट किया। विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहमति के बिना समस्त प्रधानाचार्यों/विभाग के अध्यक्षों को सम्बोधित करके 1–1–1973 से 29–4–1985 की अवधि के लिये या संबंधित अवधि से 29–4–1985 तक, जैसा भी मामला हो, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायकों को बकाया का भुगतान करने के लिये जून 1989 में परिपत्र जारी किया। इसके परिणामस्वरूप वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायकों को लगभग 26.17 लाख रु० का अनियमित भुगतान हुआ।

विश्वविद्यालय ने दिसम्बर, 1989 में बताया कि विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की शक्तियों में प्रशासनिक, प्रबन्धीय तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा इस प्रकार के पदों के लिये परिलब्धियां निश्चित करना निहित किया गया था तथा वि० अ० आ० का संदर्भ केवल व्यय पूरा करने के लिये अतिरिक्त निधियां प्राप्त करने के प्रसंग में किया गया था। विश्वविद्यालय का उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि आयोग ने वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायकों के वेतनमान में संशोधन के लिये संस्वीकृति इस शर्त पर प्रदान की थी कि इस सम्बन्ध में किसी बकाया का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा यह एक सैद्धान्तिक संशोधन होगा।

6.3 12.25 लाख रु० का परिहार्य अतिरिक्त व्यय

मई 1985 में "शैक्षणिक, कम्पलैक्स, साउथ कैम्पस धौला कुआं, नई दिल्ली एम० एल० पुस्तकालय भवन" के निर्माण के लिए 47.86 लाख रु० की (दि० द० अ० 1981 पर आधारित) अनुमानित लागत पर मद दर निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। कुल पांच निविदाएं प्राप्त हुई थी, 33.42% की दर पर ठेकेदार "क" का निम्नतम प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया था कि इस ठेकेदार द्वारा किये जा रहे एक दूसरे कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं थी। 51.1% से ऊपर ठेकेदार "ख" के दूसरे निम्नतम प्रस्ताव का भी लाभ नहीं उठाया जा सका क्योंकि निविदा की वैधता अवधि समाप्त हो चुकी थी।

इसके बाद नवम्बर 1985 में नौ चयनित फर्मों को पूर्व प्रतिबन्धित निविदा सूचना देने के बाद निविदायें भेजी गई थीं। उसके उत्तर में चार निविदायें प्राप्त की गई थीं। 75.49% की अनुमानित लागत पर ठेकेदार "ग" से प्राप्त निम्नतम निविदा इस आधार पर अस्वीकृत की गई थी कि ठेकेदार ने कुछ मदों के लिये अवास्तविक दरें फाईल की थी तथा उसने मुख्यतः उड़ीसा में निर्माण कार्य किये थे तथा उड़ीसा सरकार के लिये एक पैवेलियन बनाने के अलावा दिल्ली में उनकी ओर से कोई विशिष्ट महत्वपूर्ण निर्माण कार्य नहीं किये गये थे। मई 1986 में 18 महीनों में पूरा किया जाने वाला निर्माण कार्य 75.50 प्रतिशत से अधिक की (दि० द० अ० 1981) नव दर पर रा० भ० नि० नि० को दिया गया था। लेखा परीक्षा में निम्नलिखित मुद्दे देखने में आये थे:

यद्यपि वि० अ० आ० द्वारा योजनाओं तथा प्रारम्भिक अनुमानों की सामान्य स्वीकृति की संस्वीकृति जून 1985 में प्रदान की गई थी तथापि निविदाओं को अन्तिम रूप देने में विलम्ब होने के कारण निर्माण कार्य केवल मई, 1986 में ही आरम्भ किया जा सका।

जैसा कि विश्वविद्यालय के अधीक्षक अभियन्ता द्वारा बताया गया, रा० भ० नि० नि० को निर्माण कार्य देते समय इसी प्रकार की निर्माण कार्यों के लिये प्रचलित दरें अनुमानित लागत से 52.39 प्रतिशत से अधिक तथा 51.81 प्रतिशत अधिक थी। रा० भ० नि० नि० को 85.50 प्रतिशत से अधिक प्रचलित बाजार दरों पर निर्माण कार्य देने से विश्वविद्यालय ने 18वें चालू बिल तक 12.25 लाख रु० का अतिरिक्त व्यय किया।

निर्माण कार्य 18 महीनों अर्थात् नवम्बर 1987 में पूरा किया जाना था लेकिन अभी तक प्रगति पर था। परियोजना की अनुमानित लागत भी 97.13 लाख रु० से 123.45 लाख रु० तक बढ़ गई थी। यदि ठेकेदार "ख" को प्रचलित बाजार दरों 51.1% से अधिक की दर पर निर्माण कार्य दिया गया होता तो विश्वविद्यालय को अतिरिक्त व्यय नहीं करना पड़ता। चूंकि ठेकेदार "ख" की निविदा तकनीकी रूप से स्वीकार्य थी, निविदा की वैधता अवधि समाप्त होने के लिये कोई कारण अभिलिखित नहीं किये गये थे।

विश्वविद्यालय ने दिसम्बर, 1987 में बताया कि निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका था।

(ख) रा० भ० नि० नि० को अगस्त 1986 में दिया गया 8.88 लाख रु० का ब्याज मुक्त संग्रहण अग्रिम भारत सरकार के दिनांक 15–7–1983 के आदेशों, जिसके अनुसार निविदा में रखी गई अनुमानित लागत का अधिकतम 10% की

सीमा तक या एक करोड़ रु० जो भी कम था, का संग्रहण अग्रिम एक करोड़ रु० तथा इससे ऊपर के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में केवल एक ही ठेकेदार को दिया जा सकता है, के प्रतिकूल था।

6.4 बेकार पड़े उपस्कर

जापान सरकार अक्तूबर 1984 में विश्वविद्यालय के शैक्षिक तथा अनुसन्धान उपकरणों के सुधार के लिये 500 मिलियन येन (लगभग 3.30 करोड़ रु०) का अनुदान देने के लिये सहमत हुई क्योंकि फोर्ड फाउण्डेशन अनुदानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकांश वैज्ञानिक उपकरण अपना सामान्य समय व्यतीत कर चुके थे तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त निधियों से प्राप्त कुछ अन्य उपकरणों के प्रतिस्थापन की आवश्यकता थी। मार्च 1985 में जापानी विनिर्माताओं/सभरकों, जिनके भारत में बिक्री करने के बाद सेवा उपलब्ध कराने के लिये अपने एजेंट थे, को अपेक्षित उपकरणों के लिये आदेश प्रस्तुत किये गये थे। विश्वविद्यालय द्वारा ये उपकरण जनवरी से मार्च 1986 की अवधि के दौरान प्राप्त किए गए थे। लगभग 3.30 करोड़ रुपये की लागत के उपकरणों में से 72 लाख रु० की लागत के उपकरण पुराने भवनों में प्रतिष्ठापित किये गये थे। लगभग तथा 2.23 करोड़ रु० मूल्य के उपकरण नये उपकरणीय भवन में प्रतिष्ठापित किये गये थे। लगभग 25 लाख रु० की लागत के दो उपकरण अभी तक प्रतिष्ठापित नहीं किये थे तथा उनका साढ़े तीन वर्ष बीत जाने के बाद तक उपयोग नहीं किया गया था। आगे, उपयोग में लाये गये उपरणों के सम्बन्ध में कोई लाग बुक अनुरक्षित नहीं की गई थी। विश्वविद्यालय ने बताया कि समस्त उपकरणों के लिये लाग बुक उपयोगकर्त्ता समिति बनाने के बाद शीघ्र लागू की जायेगी। लाग बुक के अभाव में लेखा परीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि इन उपकरणों को इसके अनुकूलतम क्षमता के लिये उपयोग किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, भवन के पूरा न होने के कारण दि० वि० प्र० सं०/दिल्ली नगर निगम द्वारा अभी तक 2.48 करोड़ रुपये की लागत के उपकरण चालू करने के लिये अपेक्षित पानी कनैक्शन तथा बिजली कनैक्शन की संस्वीकृति प्रदान नहीं की गई थी। जिस भवन में ये उपकरण प्रतिष्ठापित किये गये थे वह भी अभी तक (अक्तूबर, 1989) सरकारी रूप से विश्वविद्यालय को नहीं सौंपा गया था। (अक्तूबर, 1989)।

6.5 प्रत्यक्ष सत्यापन—(पुस्तकालय) :

31 मार्च, 1989 को दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय प्रणाली में केन्द्रीय पुस्तकालय तथा 11,49,873 पुस्तकों के संग्रहण वाले 23 संघटक यूनिट थे। पुस्तकालय का प्रथम पूर्ण प्रत्यक्ष सत्यापन 1941 में तथा उसके बाद 1971 में किया गया था जबकि 3.86 लाख पुस्तकों में से 53,077 पुस्तकें लापता/गुम हुई सूचित की गई थी। 1971 में किये गये स्टॉक सत्यापन की प्राप्ति पर अनुवर्ती कार्यवाही करने के परिणामस्वरूप 1976 के अन्त में एक स्टॉक सत्यापन समिति स्थापित की गई थी। पुस्तकालय की स्टॉक सत्यापन समिति ने दिसम्बर, 1976 में एक स्टॉक सत्यापन सैल सृजित करने का निर्णय लिया। स्टॉक सत्यापन सैल में एक व्यावसायिक जूनियर, एक व्यवसायिक सहायक, 2 पुस्तकालय लिपिक तथा 2 पुस्तकालय परिचारक की संस्वीकृत पद संख्या है।

सत्यापन सैल समिति ने 24-3-1977 को 31 दिसम्बर 1982 तक प्रावस्था कार्यक्रम में 31 मार्च 1977 को विद्यमान लगभग 6 लाख खण्डों का नये सिरे से स्टाक सत्यापन का एक चक्र पूरा करने का निर्णय लिया। यह भी निर्णय लिया गया था कि अप्रैल 1977 तथा दिसम्बर 1982 के बीच जोड़ी जाने वाली तथा जोड़ी गई पुस्तकों का स्टॉक सत्यापन, पहला चक्र समाप्त होने के बाद दूसरे चक्र में आरम्भ किया जायेगा।

मार्च, 1977 से मार्च, 1984 तक के बीच अंशतः स्टॉक सत्यापन करने के परिणाम-स्वरूप 600000 पुस्तकों (31 मार्च 1977 को विद्यमान) में से 396084 संख्या की पुस्तकें प्रत्यक्ष रूप से सत्यापित की गई थी।

कार्यकारी परिषद ने मार्च, 1983 में पुस्तकालय प्रणाली का विकेन्द्रीयकरण किया तथा स्टॉक सत्यापन का कार्य पुस्तकालय प्रणाली के संबंधित यूनिटों को सौंपा गया था। यद्यपि स्टॉक सत्यापन समिति ने अप्रैल, 1984 में यह सुझाव दिया कि सत्यापन सैल को जारी रखने का औचित्य तथा पदों को रखने की वांछनीयता के बारे में विश्वविद्यालय पुस्तकालय समिति द्वारा जांच की जानी चाहिये, कोई निर्णय नहीं लिया गया था (अक्तूबर, 1989) तथा कार्य का विकेन्द्रीकरण होने के बाद तक सत्यापन सैल के लिये पदों की संस्वीकृति को जारी रखा था। विश्वविद्यालय ने अक्तूबर 1989 में बताया कि स्टॉक सत्यापन सेल उसके बाद भी जारी रहा लेकिन उसके स्टाफ को व्यावसायिक जूनियर के अलावा प्रणाली के स्टाफ में मिला दिया गया था तथा 32,273 पुस्तकें अप्रैल 1984 से मार्च 1986 के बीच सत्यापित की गई थी। विश्वविद्यालय ने मार्च 1986 के बाद किये गये कार्य के ब्यौरे इस आधार पर नहीं भेजे कि स्टाफ को प्रणाली के स्टाफ में मिला दिया गया था। तथापि, विश्वविद्यालय ने

दिसम्बर 1989 में बताया कि व्यावसायिक जूनियर, व्यावसायिक सहायक तथा दो पुस्तकालय परिचारकों का पुस्तकालय प्रणाली में 1984-85, 1985-86 तथा 1987 में रिक्त पदों के प्रति उपयोग कर लिया गया था।

इस प्रकार 31 मार्च 1977 को 6 लाख से अधिक पुस्तकों के खण्ड का स्टॉक सत्यापन जोकि 31 मार्च 1982 तक पूर्ण किया जाना अपेक्षित था मार्च 1989 तक भी नहीं किया गया था। अप्रैल 1977 से दिसम्बर 1982 के दौरान जोड़ी गई पुस्तकों के स्टॉक सत्यापन का दूसरा चक्र भी आरम्भ नहीं किया गया था। अप्रैल 1986 से अक्तूबर 1989 तक सत्यापन सैल के स्टाफ पर किया गया 4.69 लाख रु० का व्यय भी अभिप्रेत उद्देश्यों के लिये नहीं था।

6.6 3.05 लाख रु० का परिहार्य अतिरिक्त व्यय

अक्तूबर 1986 में स्वास्थ्यकर प्रतिष्ठापनों सहित साउथ दिल्ली कैम्पस एम० एच० भवन में पुरुष छात्रावास के निर्माण कार्य के लिये 16.04 लाख रु० (दि० दि० अ० 1981 पर आधारित) की अनुमानित लागत पर निविदायें आमंत्रित की गई थी प्रत्युत्तर में "क" तथा "ख" ठेकेदारों से दो निविदायें प्राप्त हुई लेकिन इस आधार पर खोली नहीं गई थी कि ठेकेदार "क" पहले ही एस० पी० जैन केन्द्र तथा विज्ञान खण्ड का निर्माण कर रहा था जिसकी प्रगति संतोषजनक नहीं थी तथा दूसरे ठेकेदार "ख" को पहले ही साउथ कैम्पस के विकास का कार्य दिया जा चुका था। अतः 12 महीनों की अवधि में पूरा किया जाने वाला यह निर्माण कार्य मई 1987 में अनुमानित लागत से 103.43% अधिक की नय दर पर राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को दिया गया था।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को अनुमोदन हेतु संशोधित अनुमान प्रस्तुत करते समय यह बताया गया था कि लागत सूचकांक में वृद्धि तथा प्रचलित बाजार दरों से उच्चतर दरों पर रा० भ० नि० नि० को निर्माण कार्य देने के कारण परियोजना की लागत में 57 लाख रु० से 69.39 लाख रु० तक वृद्धि हो गई थी। भारत सरकार के आदेशानुसार रा० भ० नि० नि० बाजार दरों के अतिरिक्त केवल 10% तक मूल्य वरीयता ही प्राप्त कर सका जबकि रा० भ० नि० नि० को प्रचलित बाजार दरों से 33.5 उच्चतर दरों पर निर्माण कार्य दिया गया था। विश्वविद्यालय ने भी मई, 1989 को नवें चालू बिल तक 18.51 लाख रु० का भुगतान किया था।

12 महीनों अर्थात मई 1988 की अवधि में पूरा किया जाने वाला कार्य अभी तक प्रगति पर है। रा० भ० नि० नि० ने बिलों के भुगतान में झगड़े होने के कारण 57% लागत का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद फरवरी 1989 में कार्य स्थगित कर दिया था। जुलाई 1989 की बैठक में परस्पर रूप से यह निर्णय लिया गया था कि दोनों पार्टियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य को बन्द समझा जाये तथा विश्वविद्यालय ने जुलाई 1989 में शेष कार्य दो प्राइवेट ठेकेदारों को उन दरों पर दिया जोकि रा० भ० नि० नि० से कराये गये कार्य की दरों से कम है। विश्वविद्यालय ने जनवरी 1990 में बताया कि जनवरी 1989 से वि० अ० आ० से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण जुलाई 1989 में कार्य बन्द करने की वांछनीयता पर विचार किया गया था।

अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि बाजार प्रचलित दरों के अतिरिक्त 33.5% दर पर रा० भ० नि० नि० को निर्माण कार्य देने के अविवेकपूर्ण निर्णय से विश्वविद्यालय ने 3.05 लाख रु० का अतिरिक्त व्यय किया। विश्वविद्यालय ने शेष निर्माण कार्य दो प्राइवेट ठेकेदारों "ख" तथा "घ" को दिया। ठेकेदार "ख" को 1989 में 65.41% से अधिक पर निर्माण कार्य दिया गया था। ठेकेदार "ख" वही ठेकेदार था जिसकी निविदा विश्वविद्यालय द्वारा अक्तूबर 1986 में मंगवाई गई पहले की निविदा के प्रत्युत्तर में इस तर्क पर नहीं खोली गई थी कि उसका कार्य सन्तोष जनक नहीं था। विश्वविद्यालय का यह तर्क कि रा० भ० नि० नि० के साथ किया गया ठेका वि० अ० आ० से जुलाई, 1989 में निधियों की प्राप्ति न होने के कारण बन्द हुआ समझा गया था, भी सही नहीं था क्योंकि विश्वविद्यालय ने अपने आप जुलाई, 1989 में शेष निर्माण कार्य पुनः दिया था।

6.7 फ्लैटों के समापन में विलम्ब के कारण उनके आबंटन न होने के कारण राजस्व की हानि

"साउथ कैम्पस, एम० एच० में आवासीय काम्पलैक्स में टाईप-I, II, III, IV, तथा V फ्लैटों के निर्माण" कार्य के लिये 52.53 लाख रु० की अनुमानित लागत पर निविदायें 12 जून, 1984 के बजाय 7 मई, 1984 को आमंत्रित की गई थीं। उसके उत्तर में 5 निविदायें प्राप्त की गई थीं। 17.35% अधिक पर ठेकेदार "क" का निम्नतम प्रस्ताव उचित समझा गया था तथा 18 महीनों अर्थात् फरवरी, 1986 में पूरा किया जाने वाला निर्माण कार्य 31 अगस्त 1984 को दिया गया था। उसका 1,27,190 रु० (निम्न) की राशि का 10वां चालू बिल भुगतान के लिए 17 मार्च, 1987 को पारित किया गया था। उस समय तक किया गया कुल निर्माण कार्य 33,12,605/- रु० का था। विश्वविद्यालय ने 10-8-87

को अंतिम रूप से छः महीने का समय बढ़ाया लेकिन कोई प्रगति नहीं की गई थी। अतः ठेका 21 मार्च, 1988 को इस शर्त पर निरस्त किया गया था कि छोड़े गये निर्माण कार्य पर ठेकेदार को देय राशि में किया गया अधिक व्यय उसके द्वारा ही वहन किया जायेगा। 6-5-1988 को मंगवाने की बजाय 6/8-4-88 को 43.84 लाख रु० (दि० द० अ० 1981) की अनुमानित लागत पर शेष निर्माण कार्य के लिये नई निविदायें आमंत्रित की गई थी। 9 महीने में पूरा किया जाने वाला शेष निर्माण कार्य 22 अगस्त 1988 को 65.41% अधिक पर निम्नतम होने के कारण ठेकेदार "ख" को दिया गया था। यह कार्य अभी तक प्रगति में है (सितम्बर 1989)। जबकि इसे 30 मई, 1989 तक पूरा किया जाना था। तथापि, ठेकेदार को दिसम्बर 1989 तक समय बढ़ाने की अनुमति दी गई थी। अगस्त 1989 तक किये गये कार्य का कुल मूल्य 72,48,399/- रु० की निविदागत राशि के प्रति 26,01,873 रु० था।

वास्तविक समय अनुसूची के अनुसार निर्माण कार्य 9-3-1986 तक पूरा किया जाना था लेकिन अभी तक प्रगति पर है। असामान्य विलम्ब के परिणामस्वरूप लागत सूचकांक में 18-8-1984 को 274 से 1-11-1988 को 421 तक वृद्धि होने के कारण परियोजना की लागत 88,64,900/— रु० से 1-11-88,125/- रु० तक बढ़ गई थी तथा उदग्रहण तथा अनुदग्रहण सीमेंट की दरों में अन्तर हो गया था।

इस प्रकार निर्माण कार्य, जो अभी तक प्रगति पर है, में असामान्य विलम्ब होने से दिल्ली विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को फ्लैटों का आवंटन न होने के कारण राजस्व की हानि हुई है उसके अतिरिक्त सामग्री श्रमिकों की मजदूरी आदि की कीमतों में वृद्धि होने से परिसम्पत्ति पर व्यय की वृद्धि हुई।

विश्वविद्यालय ने दिसम्बर 1989 में बताया कि समस्त कार्य मई, 1990 तक समाप्त किया जाना निर्धारित है तथा ठेकेदार "क" से किया गया ठेका निरस्त किया गया था तथा अधिक लागत की वसूली का मामला मध्यस्थाधीन था।

6.8 प्रमुख निर्माण कार्य के निष्पादन में विलम्ब होने के परिणामस्वरूप निधियों में अवरोधन तथा परियोजनाओं (एम० डी० सी०) की लागत में वृद्धि।

1984-85 से 1988-89 की अवधि के दौरान साऊथ दिल्ली कैम्पस ने 236.71 लाख रु० की कुल निविदागत लागत पर प्रत्येक की 5 लाख रु० से अधिक लागत के 13 प्रमुख निर्माण कार्य लिये। ये निर्माण कार्य अगस्त 1985 से सितम्बर, 1988 के बीच समापन के लिये निर्धारित थे।

इन निर्माण कार्यों से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि अगस्त 1985 तथा सितम्बर 1988 के बीच समापन के लिये नियत किये गये 186.59 लाख रु० की निविदागत लागत पर 9 निर्माण कार्य जुलाई, 1989 में अभी तक प्रगति पर थे। 50.12 लाख रु० की निविदागत लागत पर शेष 4 निर्माण कार्य 6 माह से 23 माह तक का विलम्ब होने के बाद पूरे किये गये थे। निर्माण कार्य के निष्पादन में विलम्ब होने से निधियों में अवरोधन हुआ, इसके अतिरिक्त सामग्रियों, श्रमिकों की मजदूरी आदि की कीमतों में वृद्धि होने से निर्माण कार्यों के व्यय में वृद्धि हुई।

विश्वविद्यालय ने दिसम्बर 1989 में बताया कि निर्माण कार्य के निष्पादन में विलम्ब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निधियां जारी न करने के कारण था।

6.9 निधियों का अवरोधन

दिल्ली नगर निगम (दि० न० नि०) ने अप्रैल 1983 में दिल्ली विश्वविद्यालय को सूचित किया कि उसको 1983-84 तक विश्वविद्यालय भवनों के सम्बन्ध में सामान्य कर सहित विभिन्न कर के 90 लाख रु० का भुगतान करना अपेक्षित था। विश्वविद्यालय भवनों के संबंध में सामान्य कर की मांग उनसे पहली बार मांगी गई थी। तथा विश्वविद्यालय ने दि० न० नि० को अभी तक सामान्य कर का भुगतान नहीं किया था क्योंकि उसके अनुसार इसे दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 115 (4) में निहित प्रावधानों के अनुसार उससे छूट प्राप्त थी।

तदनुसार विश्वविद्यालय ने मई 1983 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कर देयता की परिसमाप्ति हेतु निधियों के लिये सिफारिश की। वि० अ० आ० ने मार्च, 1984 में सम्पत्ति कर के भुगतान के लिये 45 लाख रु० का अनुदान जारी किया जिसमें से विश्वविद्यालय ने 10 लाख रु० दि० न० नि० को दिये। विश्वविद्यालय ने आगे 1984-85 के लिये अपने संशोधित अनुमानों में प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार अपने अनुरक्षण अनुदान के भाग के सम्पत्ति कर के भुगतान के लिये 22.50 लाख रु० की राशि प्राप्त की।

इसी बीच मई 1983 में स्थाई परिषद द्वारा दिये गये परामर्श के अनुसार विश्वविद्यालय ने अक्तूबर, 83 में विश्वविद्यालय भवनों के सम्बन्ध में सामान्य कर की वसूली की आपत्ति के लिये दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। याचिका स्वीकार कर ली गई तथा उच्च न्यायालय द्वारा नवम्बर 1984 में वसूली रोक दी गई थी।

विश्वविद्यालय ने मार्च 1985 में वि० अ० आ० को लिखा कि उसके वरिष्ठ परामर्शदाता के परामर्श पर उसने निर्णय लिया था कि दि० न० नि० को भुगतान न किया जाये तथा 57.5 लाख रु० की राशि मार्च 1985 में वि० अ० आ० को वापिस कर दी जायेगी। साथ ही साथ उसने उसी राशि अर्थात् गृह निर्माण अग्रिम आवर्ती निधि के लिये 57.5 लाख रु० के अनुदान की संस्वीकृति के लिये कहा। तथापि, वि० अ० आ० ने मार्च, 1985 में सूचित किया कि विश्वविद्यालय न तो वि० अ० आ० को राशि वापिस कर सका न ही इस राशि को अन्य उद्देश्य के लिये विपथित कर सका। वरिष्ठ परामर्शदाता से परामर्श प्राप्त करने के बाद विश्वविद्यालय ने 57.5 लाख रु० की राशि भारतीय स्टेट बैंक में पृथक लेखे में रखने का निर्णय लिया। यह धन मार्च 1985 के बाद से अभी तक पृथक लेखे में ही पड़ा है।

इस प्रकार यद्यपि विश्वविद्यालय ने मई 1983 में कानूनी सहायता प्राप्त की थी कि उसे सम्पत्ति कर की वसूली के लिये आपत्ति करनी चाहिये क्योंकि उसके पास यह एक अच्छा मौका था तथा अक्तूबर 1983 में वसूली के प्रति एक समावेश याचिका भी दायर करनी चाहिये, फिर भी उसने उसी के लिये मार्च 1984 तक पुनः 1984-85 में अतिरिक्त अनुदान प्राप्त किये यद्यपि इनकी तत्काल आवश्यकता नहीं थी। आगे, यद्यपि वि० अ० आ० ने सूचित किया था कि दिये गये स्थगनानुसार दि० न० नि० को तत्काल राशि दिया जाना अपेक्षित नही था तथा उसने विश्वविद्यालय को उसी राशि को वापिस करने की अनुमति नहीं दी। इसके परिणामस्वरूप 57.5 लाख रु० की राशि की निधियों अर्थात् मार्च 1984 से 35 लाख रु० तथा मार्च 1985 के बाद से 22.50 लाख रु० का अवरोधन हुआ।

विश्वविद्यालय ने जुलाई, 1989 में बताया कि उसके बैंक लेखे रोकने के लिये दि० न० नि० से लगातार दी जाने वाली धमकियों को ध्यान में रखते हुए 83-84 के संशोधित अनुमान में वि० अ० आ० को अपेक्षायें बताई गई थीं। वि० अ० आ० ने जून, 1989 में बताया कि उसने विश्वविद्यालय से एक संदर्भ प्राप्त किया कि इस मामले का निकट भविष्य में उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय किये जाने की आशा नहीं थी तथा विश्वविद्यालय के वरिष्ठ परामर्शदाता ने परामर्श दिया था कि वि० अ० आ० को राशि वापिस की जाये बशर्ते वह तत्काल सम्पत्ति कर का भुगतान करने के लिये सहमत हो, यदि उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार का निर्णय लिया जाये। वि० अ० आ० ने भी अक्तूबर, 1989 में बताया कि वह विश्वविद्यालय के पास पड़े शेष को तत्काल वापिस करने के लिये अब लिख रहा था।

मामला मई 1988 में मानव ससाधन विकास मंत्रालय शिक्षा (विभाग) को सूचित किया गया था। मंत्रालय ने जुलाई 1988 में बताया कि उसके पास प्रस्तावित करने के लिये कोई टिप्पणी नहीं थी।

6.10 आंतरिक लेखा परीक्षा

विश्वविद्यालय द्वारा लेन-देन की जांच करने तथा अभिलेख के अनुरक्षण तथा नियमों, आदेशों तथा वित्तीय प्रबन्धों की अनुपालना की आंतरिक लेखा परीक्षा करने की प्रणाली 1958-59 में आरम्भ की गई थी। आंतरिक लेखा-परीक्षा विंग में एक आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी, 3 अनुभाग अधिकारी, 8 वरिष्ठ लेखाकार, 4 सहायक तथा 2 कनिष्ठ सहायक टंकक हैं।

31 मार्च, 1988 को विश्वविद्यालय के पास 79 विभाग, 20 सभागार/छात्रावास तथा अनुरक्षित संस्थान, 16 वित्त प्रभाग तथा 6 स्थापना अनुभाग थे जिनमें से 1988-89 के दौरान 34 विभागों, 7 सभागारों/छात्रावासों तथा अनुरक्षित संस्थानों की लेखा परीक्षा की गई थी। 13 संस्थानों, 16 वित्त अनुभागों तथा 6 स्थापना अनुभागों की आंतरिक लेखा परीक्षा कभी भी नहीं की गई थी।

यूनिट के पास उसके कार्यों के लिये मार्गदर्शन निहित होने वाला कोई मैनुअल नहीं था।

धर्म वीर,
प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा-I
केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली-2

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 4-5-90

विवरण पत्र सं०—1

दिल्ली विश्वविद्यालय

दिल्ली विश्वविद्यालय का तुलन-पत्र 31-3-1989 को

31-3-88 को	निधियां तथा देयताएं	31-3-89 को
रुपये		
41,75,45,504	1. अनुदान	42,69,94,624
46,88,136	2. उपहार तथा दान	47,18,166
19,45,67,707	3. भविष्य निधि	21,72,90,473
58,54,299	4. मूल्य ह्रास आरक्षित निधि	63,25,497
1,64,584	5. प्रकाशन निधि	2,37,458
10,59,087	6. कुलपति का छात्र-निधि	10,24,322
1,56,59,629	7. बंदोबस्त निधि लेखा	1,61,41,973
4,22,812	8. वाहन-ऋण निधि	4,25,556
5,29,74,588	9. गृह निर्माण ऋण निधि	6,43,07,063
2,06,167	10. प्रकाशन परिक्रामी निधि	2,30,780
3,21,463	11. रॉयल्टी निधि (अंग्रेजी विभाग)	3,76,514
1,55,875	12. "ओरिएंटल इन्सेक्ट्स" के प्रकाशन का निधि	1,60,487
17,25,724	13. हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय निधि	25,95,158
	देयताएं	
—	1. (क) अप्रयुक्त अनुदान	2,58,84,952
1,08,00,000	(ख) पेशगी प्राप्त हुआ अनुरक्षण अनुदान	1,60,00,000
28,27,459	2. विशान अवशान राशि तथा पुस्तकालय जमा राशियां	37,13,759
18,76,684	3. ठेकेदार की जमानतें	21,57,148
47,62,017	4. छात्रवृत्तियों की जमा राशि	27,88,591
86,90,972	5. अनुसंधान योजनाओं की जमा राशि	1,03,45,342
11,52,917	6. प्रोन्नत सम्मान, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, गोष्ठियों इत्यादि की जमा राशियां	10,22,717
4,86,444	7. अन्य जमा राशियां	1,07,677
21,62,946	8. राशि	42,95,446
20	9. पुस्तक बैंक (शिक्षा विभाग)	20
20,26,310	10. रा०से०यो० लेखा	25,58,754
4,93,883	11. प्रौढ़ तथा अनुवर्ती शिक्षा लेखा	2,30,692
47,25,383	12. गृह कर लेखा	47,51,028
61,570	13 सामूहिक बीमा योजना लेखा	1,65,773
73,54,02,170	जोड़	81,48,48,869

दिल्ली विश्वविद्यालय का तुलन-पत्र 31-3-1989 को

31-3-1988 को	परिसम्पत्तियां	31-3-1989 को
रुपये		रुपये
12,63,09,869	1. भवन	14,01,29,352
1,02,46,495	2. भूमि	1,21,27,102
13,57,29,041	3. फर्नीचर तथा उपस्कर	14,81,41,869
17,69,159	4. वाहन	19,45,393
1,42,00,791	5. वैज्ञानिक उपकरण	1,46,95,297
10,95,64,252	6. पुस्तकें तथा पत्र-पत्रिकाएं	12,11,20,876
1,34,252	7. खेलकूद का सामान तथा ट्रॉफियां	1,41,368
5,18,910	8. प्राप्य राशि	4,51,270
	9. भविष्य निधियां	
12,99,00,429	क. निवेश	13,22,96,500
4,75,94,424	ख. निवेशों पर प्राप्य ब्याज	4,92,44,643
	10. अन्य निवेश	
13,15,000	क. मूल्य ह्रास आरक्षित निधि	13,15,000
1,01,000	ख. प्रकाशन निधि	1,78,000
3,80,500	ग. कुलपति की छात्र-निधि	3,80,500
1,16,42,970	घ. बंदोबस्ती निधियां	1,20,09,577
89,817	ङ. समाज-कार्य विभाग	89,817
25,42,100	च. विज्ञान अंधदान राशि तथा पुस्तकालय जमा	23,89,100
7,30,000	छ. कम्प्यूटर केन्द्र	7,30,000
3,00,000	ज. रॉयल्टी निधि (अंग्रेजी विभाग)	3,45,000
51,04,629	झ. योजनागत विकास लेखा	1,31,20,865
75,000	ञ. प्रकाशन परिक्रामी निधि	75,000
1,00,000	ट. "ओरिएंटल इन्सेक्ट्स" पत्रिका की प्रकाशन निधि	1,00,000
9,50,000	ठ. हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय निधि	10,00,00
—	विविध लेखा	1,35,000
	11. पेशगियां तथा ऋण	
72,525	क. स्थायी पेशगी	97,425
6,95,207	ख. अन्य पेशगियां	10,27,954
65,000	ग. विश्वविद्यालय प्रेस को ऋण	—
3,60,598	घ. वाहन ऋण	4,18,029
4,45,71,777	ङ. गृह निर्माण ऋण	5,43,76,172
24,03,000	12. विश्वविद्यालय प्रेस	25,53,000
4,795	13. डेसू के पास जमानत (समाज कार्य विभाग)	4,795
43,14,473	14. आय से व्यय का आधिक्य	1,59,87,534
8,36,16,166	15. बैंक में रोकड़	8,82,32,451
73,54,02,179	जोड़	81,48,48,869

लेखों पर टिप्पणियां

1. सामान्य :

इन वार्षिक लेखों में हॉलों/छात्रावासों तथा अनुरक्षित संस्थाओं/कालेजों के लेखे शामिल नहीं हैं। जिन्हें अलग से भेजा जाएगा।

2. देयताएं : क्रम सं० 12

विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों पर दिल्ली नगर निगम को दिए जाने वाले सामान्य कर की अदायगी का प्रश्न न्यायाधीन है।

3. परिसम्पत्तियां : क्रम सं० 11 (ख) अन्य पेशगियां

इन आंकड़ों में निम्नलिखित पेशगियां शामिल नहीं हैं जिन्हें उनके अन्तिम लेखा मद में ले लिया गया है। इन पेशगियों के समायोजन के लिए 31-3-1989 तक की पेशगियों के रजिस्टर पर ध्यान रखा जा रहा है और समायोजनों के लिए रोकी गई पेशगियों की स्थिति को श्रेणीवार नीचे दिया जा रहा है।

श्रेणी	पिछले वर्षों में रुपये	1986-87 में रू०	1987-88 में रू०	1988-89 में रू०	पेशगियां दी गई जोड़ रू०
	रू०	रू०	रू०	रू०	रू०
1. भवन	12,443	20,000	32,500	11,66,184	12,31,127
2. फर्नीचर तथा उपस्कर	16,475	---	3,17,159	64,84,091	68,17,725
3. वैज्ञानिक उपकरण	6,730	---	2,56,861	1,30,407	3,92,998
4. पुस्तकें तथा पत्र-पत्रिकाएं	---	---	---	4,485	4,485
5. अनुसंधान योजनाएं संगोष्ठियां तथा अनुसंधानवृत्तियां	96,079	7,151	19,706	47,30,142	48,53,078
6. अन्य पेशगियां जिन्हें संबंधित वर्षों के आय तथा व्यय लेखों में लिख लिया गया है।	3,22,084	2,03,959	6,12,408	30,95,566	42,34,017
जोड़	4,52,811	2,31,110	12,38,634	1,46,10,875	1,65,33,430

प्रमाणित किया जाता है कि विश्वविद्यालय को मिले अनुदान का उपयोग उन्हीं कार्यों के लिए किया गया है जिनके लिए उन्हें स्वीकृत किया गया था और दिया गया था।

विवरण सं० 2

वर्ष 1988-89 का आय तथा व्यय लेखा

1987-88	आय	1988-89
	1 गैर योजनागत लेखा	
	का अनुरक्षण अनुदान लेखा	
रु० पै०		रु० पै०
14,93,94,637.69	1. अनुदान, पूंजीगत व्यय को छोड़कर	16,93,88,723.68
41,22,816.16	2. छात्रों से प्राप्त शुल्क	41,04,010.40

1987–88	आय	1988–89
65,32,912.99	3. परीक्षा शुल्क	1,10,45,764.10
10,64,377.62	4. अन्य शुल्क	15,24,312.17
1,94,350.90	5. स्वास्थ्य केन्द्र अंशदान	2,30,772.00
1,27,422.05	6. प्रकाशनों की बिक्री	2,82,715.16
55,776 50	7. फोटोकापी तैयार कराने के खर्चे	1,21,574.50
768.00	8. ग्राफिक आर्ट्स सेंटर	41,070.00
15,94,450.66	9. लाइसेंस शुल्क, बिजली, पानी के खर्चे इत्यादि	14,74,673.09
	10. विविध	
3,22,140.34	(क) ब्याज	7,88,337.95
38,84,555.69	(ख) अन्य मदों से आय	17,71,201.93
16,72,84,208.49	जोड़	19,07,73,154.98
	2. योजनागत विकास लेखा	
	1. अनुदान, अनावर्ती अनुदानों को छोड़कर	
99,433.00	(क) पांचवीं योजना की स्कीमें	—
14,24,409.00	(ख) छठी योजना की स्कीमें	2,95,329.72
60,609.86	(ग) उच्च अध्ययन एवं अनुसंधान केन्द्र	—
1,20,000.00	(घ) सातवीं योजना की स्कीमें	1,50,000.00
17,04,451.86	जोड़	4,45,329.72
16,89,88,660.35	जोड़ 1 तथा 2	19,12,18,484.70
1,08,62,502.37	आय से व्यय का आधिक्य	1,16,73,060.84
17,98,51,162.72	कुल जोड़	20,28,91,545.54

वर्ष 1988–89 का आय तथा व्यय लेखा

वेतन तथा भत्ते 1987–88		अन्य खर्चे जिनमें देय राशियां शामिल हैं		जोड़		I गैर–योजनागत व्यय	वेतन तथा भत्ते		अन्य प्रभार 1988–89		जोड़	
रु०	पै०	रु०	पै०	रु०	पै०		रु०	पै०	रु०	पै०	रु०	पै०
						(1) गैरयोजनागत व्यय अनुरक्षण अनुदान लेखा						
1,57,43,051	78	57,38,282	43	2,14,81,334	21	1. सामान्य प्रशासन	1,78,64,903	76	71,68,835	20	2,50,33,738	96
45,41,099	30	1,21,37,453	76	1,66,78,553	06	2. परीक्षा नियंत्रक का कार्यालय	49,95,214	45	1,54,23,198	85	2,04,18,413	30
2,41,81,073	25	14,24,229	65	2,56,05,302	90	3. कला तथा समाज विज्ञान संकाय	2,42,71,078	55	16,14,176	20	2,58,85,254	75
2,29,04,320	98	36,44,233	89	2,65,48,554	87	4. विज्ञान संकाय	2,52,33,078	45	33,11,893	54	2,85,44,971	99
65,56,774	58	2,46,442	50	68,03,217	08	5. विधि संकाय	72,88,342	85	1,46,662	70	74,35,005	55
19,45,791	25	27,329	89	19,73,121	14	6. संगीत तथा ललित कला संकाय	19,93,085	60	18,096	00	20,11,181	60
29,05,698	82	1,84,635	86	30,90,334	68	7. गणित संकाय	29,10,550	45	1,42,813	70	30,53,364	15
3,36,491	60	5,46,736	59	8,83,228	19	8. आयुर्विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संकाय	3,57,738	40	6,32,824	18	9,90,562	58
22,42,499	48	2,20,020	48	24,62,519	96	9. प्रबंध अध्ययन संकाय	24,28,831	25	1,45,388	43	25,74,219	68
38,48,480	65	2,58,533	17	41,07,013	82	10. शिक्षा संकाय	38,52,596	90	2,36,163	37	40,88,760	27
69,85,131	64	21,11,398	76	90,16,550	42	11. दक्षिण दिल्ली परिसर	83,12,227	70	28,42,741	22	1,11,54,968	92
80,20,447	78	9,01,229	65	89,21,677	43	12. दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय तंत्र	87,35,982	60	11,26,633	68	98,62,616	28
4,64,013	23	39,253	77	5,03,267	00	13. हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय	5,22,951	80	45,361	65	5,68,313	45
11,12,482	70	83,76,948	33	94,89,431	03	14. छात्र–सुविधाएं	11,62,705	42	82,65,345	58	94,28,051	00
26,65,690	88	1,46,05,491	68	1,72,71,182	56	15. कर्मचारी–हित योजनाएं	33,36,039	50	2,23,62,554	25	2,56,98,593	75
—		4,52,786	20	4,52,786	20	16. अनुदान तथा अंशदान	—		5,55,541	80	5,55,541	80
52,61,562	10	89,56,239	16	1,42,17,801	26	17. अनुरक्षण तथा मरम्मत के कार्य	58,82,266	43	93,72,797	65	1,52,55,064	08
2,72,380	25	—		2,72,380	25	18. अध्ययन अवकाश	1,55,113	30	—		1,55,113	30
8,14,293	30	14,19,625	62	22,33,918	92	19. कॉलिजेतर महिला शिक्षा मंडल	8,64,265	35	13,93,614	40	22,57,879	75
2,11,871	10	4,07,221	42	6,19,092	52	20. ग्राफिक आर्ट्स केन्द्र	2,57,691	00	1,23,336	28	3,81,027	28
12,34,887	65	28,35,881	06	40,70,768	71	21. दिल्ली विश्वविद्यालय कम्प्यूटर केन्द्र	13,94,169	10	3,80,713	07	17,74,882	17
10,37,576	55	—		10,37,576	55	22. अतिरिक्त मंहगाई भत्तों के दिए जाने के फलस्वरूप, वित्तीय भार	—		—		—	
11,32,05,638	87	6,45,33,973	89	17,77,39,612	76	जोड़	12,18,18,832	86	7,53,08,691	75	19,71,27,524	61

व्यय लेखा

वेतन तथा भत्ते 1987-88	अन्य खर्चे जिनमें देय राशियां शामिल हैं	जोड़		वेतन तथा भत्ते 1987-88	अन्य प्रभार जिनमे 1988-89 देय राशियां शामिल हैं	जोड़
रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०		रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०
			2. योजनागत विकास अनुदान लेखा			
			क. पाचवीं योजना की स्कीमें जिनमे दक्षिण दिल्ली परिसर की स्कीमे शामिल हैं	—	—	—
6,31,034.35	5,21,698.65	11,52,733.00	ख छठी योजना की स्कीमें	2,59,649.00	4,01,387.08	6,61,036.08
—	(—) 4,48,682.76	(—) 4,48,682.76	ग उच्च अध्ययन तथा अनुसंधान केन्द्र	—	—	—
3,85,684.40	10,21,815.32	14,07,499.72	घ सातवीं योजना की स्कीमें	20,63,839.91	30,39,144.94	51,02,984.85
40,16,718.75	10,94,831.21	21,11,549.96	जोड़ II	23,23,488.91	34,40,532.02	57,64,020.93
11,42,22,357.62	6,56,28,805.10	17,98,51,162.72	जोड़ 1 और 2	12,41,42,321.77	7,87,49,223.77	20,28,91,545.54
11,42,22,357.62	6,56,28,805.10	17,98,51,162.72	कुल जोड़	12,41,42,321.77	7,87,49,223.77	20,28,91,545.54

लेखों पर टिप्पणियां

वर्ष 1988-89 के दौरान दिए गए खर्च में उन पेशगियों का भी शामिल किया गया है जिनका लेखे के अंतिम रूप से मद (शीर्ष) या मद में 31-3-1989 तक, नीचे दी गई हद तक, समायोजन करना है।

(1) अवकाश या रियायत के रूप में कर्मचारियों को दी गई राशि	रु०	37,920
(2) आनुषंगिक व्यय इत्यादि के निमित्त विभागों को दी गई राशि	रु०	30,57,646
		30,95,566

विवरण पत्र सं० 3

वर्ष 1988-89 के दौरान प्राप्तियों तथा अदायगियों का सार

क्रमांक लेखा का नाम	प्राप्तियां	अदायगियां
	रु० पै०	रु० पै०
1— गैर योजनागत लेखा अनुरक्षण अनुदान लेखा	25,14,40,731.62	25,77,45,405.43
2— योजनागत विकास लेखा	3,26,08,633.32	4,14,53,683.46
3— विविध लेखा	46,43,883.03	36,57,235.93
4—(i) भविष्य निधि लेखा (डी० यू०—40)	2,08,38,235.30	1,86,20,841.10
(ii) अंशदायी भविष्य निधि लेखा (डी० यू० 109)	1,92,60,536.89	8,54,89,590.20
(iii) सामान्य भविष्य निधि लेखा (डी० यू० 106)	2,09,54,399.93	1,86,95,489.56
(iv) अंशदायी भविष्य निधि जिसे वि० अनु० आ० को लौटाना है (डी० यू० 107)	4,23,51,074.18	2,19,21,849.09
5— मूल्य ह्रास आरक्षित निधि लेखा (डी० यू० 216)	9,61,197.91	12,34,402.70
6— प्रकाशन निधि लेखा (डी० यू० 35)	67,517.65	72,025.00
7— कुलपति का छात्रनिधि लेखा (डी० यू० 31)	1,31,284.30	1,66,050.00
8— बंदोबस्त निधि लेखा	46,74,393.75	44,58,655.65
9— वाहन ऋण निधि लेखा (सी एंड आई 100)	2,83,225.60	3,37,912.85
10— भवन निर्माण ऋण निधि (सी० आई० 258)	2,37,92,057.51	2,22,63,977.27
11— प्रकाशन परिक्रामी निधि लेखा (सी० एंड आई० 264)	25,470.24	857.50
12— रॉयल्टी लेखा अंग्रेजी विभाग (सी० एंड आई० 282)	83,469.07	74,418.53
13—दिल्ली विश्वविद्यालय प्रकाशन "ओरिएंटल इन्डेक्स" निधि लेखा (सी० एण्ड आई० 344)	15,510.90	10,899.95
14— हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय (सी० एण्ड आई० 309)	15,39,991.91	10,20,558.00
15— विज्ञान अवधान राशि (सी० एण्ड आई० 70)	95,269.25	87,186.20
16— पुस्तकालय जमा लेखा (सी० एण्ड आई० 140)	11,24,740.00	93,523.71

क्रमांक	लेखा का नाम	प्राप्तियां		अदायगियां	
		रु०	पै०	रु०	पै०
17—	सी० एण्ड आई० आर० छात्रवृत्ति लेखा (डी० यू० 99)	87,10 243	.00	98,26,103	.84
18—	वि० अनु० आ० छात्रवृत्ति लेखा (डी० यू० 131)	80,10,030	.30	81,58,212	.28
19—	अन्य निकायों के छात्रवृत्ति लेखे (डी० यू० 165)	16,67,944	.20	23,85,574	.11
20—	अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति लेखा (शिक्षा विभाग, सी० एण्ड आई० 152)	19,526	.70	20,395	.00
21—	विदेशी छात्रों का छात्रवृत्ति लेखा (डी० यू० 4016)	4,47,342	.00	4,58,227	.00
22—	अनुसंधान योजनाएं (सी० एण्ड आई० 148)	2,74,43,791	.20	2,90,75,183	.80
23—	समाज कार्य विभाग (अनुसंधान परियोजना लेखा)	5,80,834	.72	5,68,275	.83
24—	अनुसंधान परियोजनाएं (सी० एण्ड आई० 280)	2,72,476	50	2,75,238	.00
25—	अनुसंधान योजनाएं (सी० एण्ड आई० 384)	14,72,927	.50	8,96,464	.00
26—	संगोष्ठियों, ग्रीष्मकालीन संस्थाओं का लेखा (सी० एण्ड आई० 252)	20,56,316	.94	21,86,517	.00
27—	प्रेषणाओं तथा जमाओं का लेखा (शिक्षा विभाग)	61,970	.00	81,552	.00
28—	दिल्ली विश्वविद्यालय कर्मचारी क्वार्टर लेखा (सी० एण्ड आई० 313)	29,24,532	.14	29,65,944	.55
29—	केस सामग्री योजना लेखा				
	परिसर विधि केन्द्र—1 (सीएण्डआई 390)	2,46,832	.15	2,52,552	.00
	सांध्य विधि केन्द्र—1 लेखा 12742	—		—	
	सांध्य विधि केंद्र—1 लेखा 14974	1,82,300	.08	1,43,514	.00
	सांध्य विधि केंद्र—2 लेखा 7803	1,02,860	.60	1,22,487	.00
30—	जापान से मिले विशेष अनुदान का लेखा (सी० एण्ड आई० 361)	34,125	.52	7,31,861	.00
31—	एशियाड "82" लेखा (सी० एण्ड आई० 288)	13,679	.94	—	
32—	विदेशी मुद्रा (सी० एण्ड आई० 426)	26,707	.90	3,429	.00
33—	संकाय विकास निधि बचत बैंक खाता सं० 297	3,360	.67	—	

क्रमांक	लेखा का नाम	प्राप्तियां		अदायगियां	
		रु०	पै०	रु०	पै०
34—	काम करने वाली महिलाओं का होस्टल लेखा (एस० ए०—356)	1,455.85			—
35—	समाज कार्य विभाग (एन० एस० एस०) लेखा	19,51,222.15		16,18,778.61	
36—	दिल्ली विश्वविद्यालय प्रौढ़ तथा अनुवर्ती शिक्षा लेखा (सी० एण्ड आई० 336)	7,83,089.50		10,46,281.95	
37—	दिल्ली विश्वविद्यालय गृह कर लेखा (सी० एण्ड आई० 357)	2,95,627.11		2,69,982.00	
38—	सामूहिक बीमा योजना (सी० एण्ड आई० 374)	71,87,072.09		70,82,869.64	
39—	प्रकाशन निधि लेखा सं० 455 (स्लाविक स्टडीज)	35,190.45		35,000.00	
40—	प्रकाशन निधि लेखा सं० 456 (एस० ई० एल० विभाग)	35,190.50		35,000.00	
41—	प्रवेश संबंधी कार्यों के खर्च प्रबन्ध अध्ययन स्वकाय तथा वाणिज्य विभाग (सी० एण्ड आई० 449)	7,81,386.65		5.00	
42—	प्रवेश संबंधी कार्यों के खर्चे विधि संकाय तथा कम्प्यूटर साइंस विभाग (सी० एण्ड आई० 460)	74,062.50			—
	जोड़	55,02,60,295.42		54,56,44,009.54	

विवरण पत्र सं० 4

बैंकों में रोकड़ (रोकड़ बहियों के अनुसार)

लेखे का नाम	स्थिति 31—3—1988 को		स्थिति 31—3—1989 को	
1	2		3	
	रु०	पै०	रु०	पै०
गैर योजना लेखा				
1(i) सामान्य निधि का बचत बैंक लेखा (सी० एंड आई० 212)	61,34,669.67		1,06,58,687.45	
(ii) अनुरक्षण अनुदान लेखा—सं०—I	(—) 4,60,799.18		22,00,459.53	
(iii) अनुरक्षण अनुदान लेखा सं०—II	8,39,123.97		(—) 2,43,930.88	
(iv) अनुरक्षण अनुदान सं०—III	50,00,000.00		(—) 9,05,616.03	
(v) सांध्य विधि केंद्र सं०—I लेखा	1,76,208.36		97,881.56	
(vi) सांध्य विधि केंद्र सं 2 लेखा	42,699.06		1,37,396.16	
(vii) दक्षिण दिल्ली परिसर	15,40,161 25		8,82,004.42	

1		2		3	
		रू०	पै०	रु०	पै०
	सामान्य निधि लेखा				
(viii)	समाज कार्य विभाग लेखा	6,070.69		6,975.05	
(ix)	कालेजेसर महिला शिक्षा मंडल लेखा (सी० एंड० आई० 326)	16,10,669.55		40,804.05	
(x)	शिक्षा विभाग लेखा	16,494.25		9,975.12	
(xi)	बाह्य यकक्ष लेखा (सी० एंड आई०325)	8,32,333.25		(–) 12,376.65	
(xii)	कम्पयूटर सेंटर लेखा सं० 0234	14,53,911.35		222.89	
(xiii)	विभाग की प्राप्तियां का लेखा (सं० 445)			(–) 80,470.65	
	कुल रोकड बाकी गैर योजनागत	1,71,91,542.22		1,27,92,006.02	
	लेखों के अंतर्गत				
2 (i)	योजनागत विकास चालू खाता	2,03,237.58		5,32,030.81	
(ii)	योजनागत विकास बचत बैंक लेखा (सी० एंड० आई० 211)	93,14,890.18		4,42,256.30	
(iii)	दक्षिण दिल्ली परिसर योजनागत लेखा	6,34,209.07		3,14,318.92	
(iv)	शिक्षा विभाग योजनागत लेखा	11,734.30		(–) 9,713 70	
(v)	समाज कार्य विभाग योजनागत लेखा	1,761.88		1,761.88	
	योजनागत विकास लेखों के अंतर्गत चालू कुल रोकड़ बाकी	1,01,65,833.01		12,81,254.21	
3 (i)	विविध चालू लेखा	6,22,466.69		1,00,037.87	
(ii)	विविध बचत बैंक लेखा	15,07,868.24		11,56,538.71	
	विविध लेखे के अंतर्गत कुल रोकड़ बाकी	21,30,334.93		12,56,576.58	
4 (i)	भविष्य निधि लेखा (डी० यू० 40)	7,80,706.73		29,98,100.93	
(ii)	अंशदायी भविष्य निधि लेखा (डी० यू० 109)	83,94,489.23		21,65,435.92	
(iii)	सामान्य भविष्य निधि लेखा (डी० यू० 106)	33,92,725.78		56,51,636.15	
(iv)	अंशदायी भविष्य निधि लेखा जो वि० नु० ओ० को लौटाना है (डी० यू० 107)	45,04,932.50		2,49,34,157.59	
	जोड़	1,70,72,854.24		3,57,49,330.50	

1		2	3
		रु० पै०	रु० पै०
5–	मूल्यह्रास आरक्षित निधि लेखा (डी० यू० 216)	12,94,241.68	10,21,036.89
6–	प्रकाशन निधि लेखा (डी० यू० 35)	63,584.02	59,076.67
7–	कुलपति का छात्रनिधि लेखा (डी० यू० 31)	6,78,587.70	6,43,822.00
8–	बंदोबस्त निधि लेखा	40,16,658.56	42,32,396.66
9–	वाहन ऋण निधि लेखा (सी० एण्ड आई० 100)	62,214.45	7,527.20
10–	गृह-निर्माण ऋण निधि लेखा (सी० एंड आई० 258)	84,02,811.04	99,30,891.28
11–	प्रकाशन परिक्रामी निधि लेखा (सी० एंड आई० 264)	1,31,178.36	1,55,781.10
12–	अंग्रेजी विभाग रॉयल्टी लेखा (सी० एंड आई० 282)	21,463.31	30,513.85
13–	दिल्ली विश्वविद्यालय प्रकाशन "ओरिएंटर इंसेक्टस का निधि लेखा	55,874.85	60,485.80
14–	हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय (सी० एंड आई० 309)	5,75,724.56	10,95,158.47
15–	विज्ञान अवधान राशि लेखा (सी० एंड आई० 140)	87,525.53	95,609.58
16–	पुस्तकालय जमा लेखा (सी० एंड आई० 70)	1,88,137.71	12,19,354.00
17–	सी० एस० आई० आर० छात्रवृत्ति लेखा (डी० यू० 99)	23,63,914.59	12,48,053.75
18–	वि० अनु० आ० छात्रवृत्ति लेखा (डी० यू० 131)	10,03,844.08	8,55,662.10
19–	अन्य निकायों का छात्रवृत्ति लेखा (सी० एंड आई० 165)	15,47,026.03	8,29,396.12
20–	अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति लेखा शिक्षा विभाग (सी० एंड आई० 152)	18,269.80	17,401.50
21–	विदेशी छात्रों का छात्रवृत्ति लेखा (डी० यू० 4016)	1,62,259.10	1,51,374.10
22–	अनुसंधान योजना लेखा (सी० एंड आई० 148)	53,18,944.47	37,06,752.07
23–	समाज-कार्य विभाग (अनुसंधान परियोजना लेखा)	5,044.85	17,603.74
24–	अनुसंधान परियोजना (सी० एंड आई० 280)	1,03,869.35	1,01,107.85

1	2	3
	रु० पै०	रु० पै०
25. अनुसंधान योजना लेखा (सी० एंड आई० 384)	8,88,769.15	14,65,232.65
26. संगोष्ठी, ग्रीष्मकालीन, संस्थान लेखा	11,52,916.97	10,22,716.91
26. संस्थान लेखा (सी० एण्ड आई० 252)		
27. प्रेषणाएं तथा जमा लेखा (शिक्षा विभाग)	89,026.77	69,444.77
28. दिल्ली विश्वविद्यालय कर्मचारी क्वार्टर लेखा (सी० एंड आई० 313)	3,00,938.11	2,35,122.20
29. केम सामग्री योजना लेखा		
(i) परिसर विधि केंद्र (सी० एंड आई० 390)	16,315.55	10,595.70
(ii) सांध्य विधि केन्द्र (लेखा सं० 12752(	75.00	75.00
(iii) सांध्य विधि केन्द्र (लेखा सं० 14974)	36,341.10	75,127.18
(iv) सांध्य विधि केन्द्र (लेखा सं० 7803)	1,02,860.60	1,22,487.00
30. जापान से मिले विशेष अनुदान का लेखा (सी० एण्ड आई० 361)	8,49,467.88	1,51,732.40
31. एशियाड 82 लेखा (सी एण्ड आई० 288)	2,18,063.64	2,31,743.58
32. विदेशी मुद्रा लेखा (सी० एण्ड आई० 426)	31,280.75	1,143.58
33. संकाय विकास निधि बचत बैंक लेखा–297)	3,846.28	7,196.95
34. काम करने वाली महिलाओं का होस्टल (बचत बैंक लेखा सं० 356)	22,833.20	24,289.05
35. रा० से० यो० लेखा	20,26,310.30	23,58,753.84
36. दिल्ली विश्वविद्यालय प्रौढ़ तथा अनुवर्ती शिक्षा लेखा (सी० एण्ड आई० 336)	4,93,882.97	2,30,690.62
37. दिल्ली विश्वविद्यालय सम्पत्ति कर लेखा (सी० एण्ड आई० 357)	47,25,382.84	47,51,027.95
36. सामूहिक बीमा योजना लेखा (सी० एण्ड आई० 374)	61,570.03	1,65,772.48
39. प्रकाशन : स्लाविक स्टडीज (सी० एण्ड आई० 455)	—	190.45
40. प्रकाशन : एम० ई० एल० सी० एण्ड आई० 456)	—	190.50
41. प्रवेश सम्बन्धी कार्य के खर्चे–प्रबन्ध अध्ययन संकाय तथा वाणिज्य संकाय (सी० एण्ड आई० 449)	—	7,81,381.65
42. प्रवेश सम्बन्धी कार्यों के खर्चे विधि संकाय तथा कम्प्यूटर विज्ञान विभाग (सी० एण्ड आई० 470)	—	74,062.60
	8,36,16,166.03	8,82,32,451.91

दिल्ली विश्वविद्यालय

टिप्पणियां

1. आंतर बैंक अन्तरण

31-1-1989 तक की स्थिति के अनुसार 1988-89 के दौरान तथा इसके पहले के वर्षों में निम्नलिखित आंतर बैंक अन्तरण असमायोजित पड़े रहे :

क्रमांक	मद से	मद को	राशि रु० में
1	2	3	4
1.	अनुरक्षण अनुदान लेखा	दिल्ली विश्वविद्यालय प्रेस	20,02,000
2.	अनुरक्षण अनुदान लेखा	विविध लेखा	31,00,000
3.	योजनागत विकास लेखा	अनुरक्षण अनुदान लेखा	52,00,000
4.	योजनागत विकास लेखा	विविध लेखा	6,60,000
5.	विविध लेखा	दिल्ली विश्वविद्यालय प्रेस	5,51,0000
6.	अनुसंधान योजना (सी० एण्ड आई० 148)	अनुरक्षण अनुदान लेखा (सी० आई० 426)	30,00,000
7.	रा० से० यो० (समाज कार्य विभाग)	अनुरक्षण अनुदान लेखा	2,00,000
8.	विविध लेखा	एम० एम० धर बन्दोबस्ती निधि (सी० एण्ड आई० 214)	1,00,000
9.	हिन्दी माध्यम कार्यन्वयन निदेशालय लेखा (सी० एण्ड आई० 309)	अनुसंधान योजना (सी० एण्ड आई० 148)	5,00,0000
10.	विदेशी छात्र योजना लेखा (डी० यू० 14016)	केस सामग्री योजना (सी० एण्ड आई० 390)	20,000

2. रोकड़ बहियों में गलत वर्गीकरण का सुधार

रोकड़ बहियों में गलत वर्गीकरण के कारण 1988-89 के निम्नलिखित आंतर बैंक अन्तरणों को 1989-90 में पूरा किया जाना था ।

क्रमांक	मद से	मद को	राशि
1.	अनुरक्षण अनुदान लेखा	योजना विकास लेखा	1,155.50

आर० के० गोयल
सहायक कुल सचिव (लेखा)
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली

के० यू० कुमार
वित्त अधिकारी
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली

(आर० एस० गुप्ता)
कोषाध्यक्ष
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली

विवरण पत्र सं० 5

दिल्ली विश्वविद्यालय प्रेस

31 मार्च, 1989 तक का तुलनपत्र

स्थिति 31-3-1988 को	परिसम्पत्तियां		स्थिति 31-3-89 को
1	2		3
रुपए		रुपए	
727776	1. मशीनें, फर्नीचर तथा उपस्कर	1962128	
	घटाएं : मूल्यह्रास	1275276	686852
262788	2. कम्पोजिंग का सामान	776288	
	घटाएं : मूल्यह्रास	540790	235498
163282/6	3. प्राप्य राशि		1366244
104920	4. मौजूदा स्टाक (क) कच्चा माल		122744
	(ख) तैयार माल		24158
118939	5. कार्य जो चल रहा है		396142
1000	6. स्थायी पेशगी		1000
182421	7. बैंक में रोकड़		199385
11260	8 त्यौहार पेशगी		10460
2345587	9. हानि (इकट्ठी हो गई)		2301735
5387516	जोड़		5344218

निधियां और देयताएं

25000	1. मूल्य ह्रास आरक्षित निधि	25000
	2. अनुदान :	
162442	(क) वि०अ० आ० विशेष अनुदान	162442
908764	(ख) ब्लाक अनुदान में से अनुदान	908764
1242544	(ग) फोर्ड फाउन्डेशन में से अनुदान	1242544
	3. विविध लेनदार :	
31048	(क) अन्य विभागों से सम्बधित प्राप्तियां	34281
115865	(ख) वेतन बिलों से कटौती	121715
412331	(ग) देय बिल	269944
	4. कर्ज और पेशगिया :	
17722	(क) कराए जाने वाले काम के लिए पेशगी	23528
2468000	(ख) अन्तरा बैंक अन्तरण	2553000
3000	(ग) बयाना	3000
5387516	जोड़	5344218

लेखों पर टिप्पणियां

परिसम्पत्तियों के अन्तर्गत

13,66,244/- रुपए की बकाया राशि में से 4,42,930.22 रुपए की राशि विश्वविद्यालय और पुस्तक विभागों को छोड़कर मांगपत्र भेजने वालों से ली जानी है ।

प्रबन्ध
दिल्ली विश्वविद्यालय प्रेस
दिल्ली

वित्त अधिकारी
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली

कोषाध्यक्ष
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली

वर्ष 1988–89 का लाभ–हानि लेखा

क्रमांक	व्यय :		1988–89		1987–88	आय	1988–89		1987–88	
			रु०	पै०	रु०		रु०	पै०	रु०	पै०
1.	प्रारंभिक स्टाक					1. प्राप्तिया				
	(क) कच्चा माल		1,04,920		89,434	(क) छपाई तथा वाइंडिंग के बिल	33,10,762			
	(ख) तैयार माल		—		—	(ख) रद्दी कागज के बिक्री	53,670			
2.	काम जो चल रहे है		1,18,939		1,38,722	(ग) निविदा–प्रपत्रों की बिक्री	360			
3.	वेतन तथा भत्ते	22,08,756				(घ) प्रशिक्षण इत्यादि के खर्चे	4,047			
	समयोपरि कार्य का भत्ता	19,986				(ङ) अन्य प्राप्तियां	1,289		42,83,019	
	अवकाश यात्रा रियायत	22,559				2. अंतिम स्टॉक				
	शिक्षा शुल्क	2,940				(क) कच्चा माल	1,22,744		1,04,920	
	कर्मचारी भविष्य निधि तथा	1,77,962				(ख) तैयार माल	24,158		—	
	अंशदायी भविष्य निधि	—				3. काम जो चल रहा है	3,96,142		1,18,939	
	ई० एस० आई० सी०	44,492								
	बोनस	1,21,237								
	ग्रेच्युटी	39,233	26,37,165		25,82,913					
4.	कच्चे माल की खरीद		5,04,427		4,76,638					
5.	विविध आनुषंगिक पुर्जे		1,11,439		1,00,866					
6.	किराया, दरें तथा कर		6,417		5,085					
7.	बाहर की एजेंसियों से कराया गया काम		2,87,267		6,20,057					
8.	मूल्यह्रास									
	(क) कम्पोजिंग का सामान		31,533		30,299					
	(ख) मशीन		58,705		63,223					
9.	बैंक का कमीशन		370		—					
10.	लाभ		51,990		3,99,641					
	जोड़	रु०	39,13,172		45,06,878		39,13,172		45,06,878	

वर्ष 1988–89 में कच्चे माल की खपत

मदें	1–1–88 को प्रारंभिक शेष	1988–89 के दौरान चुकाए गए बिलों की राशि	घटाएं : पिछले वर्ष की खरीद के लिए जिन बिलों का भुगतान किया गया	जोड़ें : 31–3–89 को देय बिलों की राशि	1988–89 के दौरान खरीदा गया कच्चा माल	1988–89 के दौरान जितने माल की खपत हुई	31–3–89 को कच्चे माल का अंतिम स्टाक
1	2	3	4	5	6	7	8
कागज	89,457	4,28,445	97,805	99,353	4,29,993	4,23,231	96,219
बाईंडिंग का सामान	11,101	48,368	4,015	9,536	53,889	45,199	19,791
मोनो स्पूल	—	2,568	—	—	2,568	2,568	—
स्नेहक	—	6,029	—	—	6,029	6,029	—
स्याही	4,362	11,948	—	—	11,948	9,577	6,733
जोड़	1,04,920	4,97,358	1,01,820	1,08,889	5,04,427	4,86,604	1,22,743

कार्यकारी प्रबन्धक

विवरण सं० 7

प्राप्ति एवं भुगतान का सार तथा रोकड़ बाकी

1988-89

	रु० पैसे
रोकड़ बही के अनुसार 1-4-1988 को प्रारम्भिक शेष	1,82,421.71
जोड़ें : इस वर्ष की प्राप्तियां अस्थायी अन्तरण समेत	48,68,757.59
घटाएं: इस वर्ष किए गए भुगतान- अस्थायी अंतरण समेत	48,51,793.87
रोकड़ बही के अनुसार 31-3-89 को अन्तिम शेष	1,99,385.43

टिप्पणी :—पिछले वर्षों के दौरान आरक्षण लेख में से 19,02,000 रुपए की जो राशि अंतरित की गई थी वह असमायोजित ही रही 1988-89 में 1,00,000 रु० का अंतरण और किया गया अतः 31-3-1989 तक 20,02,000 रु० की राशि असमायोजित रही।

पिछले वर्षों के दौरान विविध लेखे में से अन्तरित की गई 5,01,000 रु० की राशि असमायोजित बनी रही। 1988-89 में 50,000 रु० का अन्तरण और किया गया। अतः 31-3-1989 तक 5,51,000 रु० की राशि असमायोजित रही।

आर० के० गोयल
सहायक कुलसचिव (लेखा)
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली

के० मुथु० कुमार
वित्त अधिकारी
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली

आर० एस० गुप्ता
कोषाध्यक्ष
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली

STATE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

Bombay, the 12th November 1990

No. SBD-17/1990.—It is hereby notified for general information that in pursuance of clause (c) of sub-section (1) of Section 25 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, the State Bank of India has, in consultation with Central Government and Reserve Bank of India, nominated Prof. (Dr.) Shyam Lal, Department of Sociology, University of Rajasthan, Jaipur, as Director on the Board of Directors of State Bank of Bikaner & Jaipur for a period of Three years with effect from 19th November 1990 to 18th November 1993 (both days inclusive) in place of Shri Shiv Prasad Verma.

Sd/- Illegible
Chiarman

UCO BANK

(PERSONNEL DEPARTMENT)

Calcutta-700001, the 22nd November 1990

GSR.—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of UCO Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the UCO Bank Officer Employees' (Conduct) Regulations, 1976.

2. Short title and commencement : (1) These regulations may be called the UCO Bank Officer Employees' (Conduct) Amendment Regulations, 1990.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the UCO Bank Officer Employees' (Conduct) Regulations, 1976,

(a) in sub-regulation (4) of regulation 6 for the word "may" appearing after the words "officer employee", the word "shall" shall be substituted; and

(b) in the proviso to regulation 21 for the words "regarding such action", the words "within a period of three months from the date such action is taken by him" shall be substituted.

CORRIGENDUM

As a Corrigendum to the Notification dated 19-6-1989 bearing GSR No. 1/89 published in Part III Section IV of Gazette of India dated 8-7-89 it is pointed out that the aforesaid Notification dated 19-6-89 should be corrected to read as under :

The 19th June 1989

GSR 1/89.—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Banking Companies (Acuisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of UCO Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the UCO Bank Officer Employees' (Conduct) Regulations, 1976.

2. Short title and commencement :—(1) These regulations may be called the UCO Bank Officer Employees' (Conduct) Amendment Regulations, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. "In the UCO Bank Officer Employees' (Conduct) Regulations, 1976 in Regulation 20 in sub-regulation (4) for the abbreviation and figure 'Rs. 2,500/-' the abbreviation and figure 'Rs. 5,000/-' shall be substituted."

M. RAM MOHAN RAO
General Manager
(Personnel)

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 21st November 1990

No. U-16/53/90-Med.II(W.B.).—In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation, at its meeting held on 25th April, 1951, conferring upon the Director General the powers of the Corporation under regulation 105 of the ESI (General) Regulations 1950, and such powers having been further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23-5-1983, I hereby authorise Dr. (Mrs.) M. Sarkar of Calcutta Centre to function as medical authority w.e.f. 1-12-90 to 30-11-91 or till a Full-time Medical Referee joins, whichever is earlier, for Calcutta Centre at a monthly remuneration as per existing norms, on the basis of number of insured persons and the area to be allocated by the Dy. Medical Commissioner (East Zone), Calcutta, for the purpose of medical examination of the Insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

DR. K. M. SAXENA
Medical Commissioner

New Delhi, the 21st November 1990

No. N-15/13/11/4/88-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 16-11-1990 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Punjab Employees' State Insurance (Medical Benefits) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Punjab namely:—

S. No.	Name of Revenue Village	Had Bast No.
1.	Taraf Jodhewal	77
2.	Satowal	73
3.	Pharma	79
4.	Jawadi	160
5.	Dugri	277
6.	Phulanwal	278
7.	Kuliawal	178
8.	Tajpur	182
9.	Sahnewal Kalan	227
10.	Sahnewal Khurd	228
11.	Nandpur	233
12.	Dhandari Kalan	242
13.	Gobindgarh	243
14.	Kanganwal	245
15.	Pawa	246
16.	Natt.	247

No. N.15/13/13/12/88-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 16-11-90 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the U.P. Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of U.P. namely :—

"The areas comprising of municipal limits of Unnao in the district Unnao except the areas in which the said provisions of the Act have already been brought into force."

The 23rd November 1990

No. N.15/13/13/12/88-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 16-11-90 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the U.P. Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of

insured persons in the following area in the State of U.P. namely :—

"The areas comprising of Municipal limits of Firozabad in the District Agra except the areas in which the said provisions of the Act have already been brought into force."

A. C. JUNEJA
Director (Plg. & Dev.)

MINISTRY OF LABOUR

OFFICE OF THE CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

New Delhi-110 001, the 19th November 1990

No. 2/1959/E.D.L.I./Exemp/89/Pt./8343.—WHEREAS M/s. Hindustan Cables Ltd. Post Office, Hindustan Cables, Hyderabad-500051 (AP/3729) have applied for exemption under sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt the above said establishment with retrospective effect from which date relaxation order para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner Andhra Pradesh from the operation of the said Scheme for and upto a period of 1-5-1988 to 28-2-1990.

SCHEDULE II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/E.D.L.I./Exemp/89/Pt./8390.—WHEREAS Ms. Jindal Industries Ltd. Model Town, Delhi Road, Hissar-125005 (Code No. PN/1483) have applied for exemption under sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme):

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt the above said establishment with retrospective effect from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner Faridabad from the operation of the said Scheme for and upto a period of 1-3-1988 to 28-2-1990.

SCHEDULE

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of

accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the siad Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary permium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the siad Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than th benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anythin contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be paypable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as aforesaid, adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due dates as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

The 21st November 1990

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt. 1/8468.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

AND WHEREAS, I. B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I. B. N. Som, hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said scheme for a further period upto 28-2-90 as indicted in attached schedule-I against their namse.

REGION : Maharashtra

SCHEDULE—I

Sr. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	No. & Date of the Govt's Notification vide which exemption was granted/ extended.	Date of expiry earlier exemption.	Period for exemption further extended.	C.P.F.C's File No.
1	2	3	4	5	6	7
1.	M/s The Tata Hydro-Electric Power Supply Co. Ltd. Bombay House, 24, Homi Medig Street Fort, Bombay-400023.	MH/9080	S-35014(345)82-PF-II (SS-II) dated 1-5-1986	7-1-89	8-1-89 to 28-2-90	2/258/79-DLI
2.	M/s. Hindustan Coca Cadbury House (I) Bhulabhai Desai Road Bombay-400026.	MH/4258	S-35014/169/82-PF-II (SS-II) dated 7-2-86 S-35014/179/82-PF-II	24-9-89	25-9-88 to 28-2-90	2/580/81-DLI
3.	M/s. Hindustan Coca Cadbury House (I) Bhulabhai Desai Road, Bombay-400026.	MH/5067	S-35014/179/82-PF-II (SS-II) dated 7-2-86	17-9-88	18-9-88 to 28-2-90	2/580/81/DLI

1	2	3	4	5	6	7
4.	M/s. Navrang Dyeing Pvt. Ltd., 573, Girgaum Road, 1st Floor, Bombay-400002.	MH/8138	S-35014/120/84-SS-IV dt. 23/24-11-84	22-11-87	23-11-87 to 28-2-90	2/1083/84-DLI
5.	M/s. Bombay Electric Supply and Transport Undertaking, Best House P.B. No. 192, Bombay-39.	MH/1568	S-35014/58/85-SS-IV dt. 27-3-85	26-3-88	27-3-88 to 28-2-90	2/371/80-DLI
6.	M/s. Indian Express Newspapers Bombay Pvt. Ltd., Express Towers, Nariman Point Bombay-400021.	MH/1195	S-35011/5/86-SS-II	13-2-89	14-2-89 to 28-2-90	2/1269/85-DLI

SCHEDULE II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything continued in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt-I/8475.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Shedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I. B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt each of the said establishments with retrospective effect from the date mentioned in Schedule-I against each from which date relaxation order under para 28 (7) of the said Scheme has ben granted by the R.P.F.C. Tiruchirappalli from the operation of the said scheme for and unto a period of 28-2-90.

SCHEDULE—I

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	Effective date of exemption	C.P.F.C's File No.
1	2	3	4	5
1.	M/s. L.G. Balakrishnan & Brothers Limited., Coimbatore Road, Karur-639002 and its branches M/s. L.G. Bala-Krishnan & Bros. Ltd., Theni Road, Madurai, Dindigul, Salem & Regd., Office: India House, Trichy Road, Coimbatore-641018.	TN/979	1-3-88 to 28-2-90	2/1196/85-DLI
2.	M/s. Vanavil Dyes & Chemicals Ltd., Kudikadu Post, P.O. Cuddalore-607003 and Branch 20, South Leith Castle Road, Santhome, Madras-600028.	TN/17523	1-11-88 to 28-2-90	2/2442/90-DLI

SCHEDULE II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the empolyer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6 The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefitsadmissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member, who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of Inda shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for its and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

No. 2/9159/DLI/Exemp/89/Pt.I/8482.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linker Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said scheme for a further period upto 28-2-90 as indicated in attached schedule-I against their names.

SCHEDULE—I

REGION : **Coimbatore**

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	Effective date of exemption	C.P.F.C's File No.
1	2	3	4	5
1.	M/s. Sakthi Finance Ltd., 475, Dr. Nanjappa Road Post Box No. 3745, Coimbatore-641018 & its branches at Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Maharashtra & New Delhi.	TN/4675	1-9-88 to 28-2-90	2/3258/90-DLI
2.	M/s. The Tiruchengode Co-op. Marketing Society Ltd. No. S. 351 Post Box. No. 26, Tiruchengode-637211 Salem District & Head Office Tiruchengode and its Branches at Konganapuram and Mallasamudram.	TN/5943	1-12-87 to 28-2-90	2/3259/90-DLI
3.	M/s. Veejay Syntex (P) Ltd., 8, A.T.T. Colony, Coimbatore-641018.	TN/21341	1-8-89 to 28-2-90	2/3260/90-

SCHEDULE II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employed shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.1/8489.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour notification No. and date shown against the name of each of the said establishments and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said scheme for a further period upto 28-2-90 as indicated in attached schedule-I against their names.

SCHEDULE—I

Sr. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	No. & Date of the Govt's Notification vide which exemption was granted/extended.	Date of expiry earlier exemption	Period for exemption further extended	C.P.F.C's File No.
1.	M/s M.R.F. Limited., Post Box No. 3760., 827, Anna Salai, Madras-2.	TN/347-A	2/1959/DLI/Exemp./89/ Pt. I dated 18-9-89	31-1-90	1-2-90 to 28-2-90	2/2009/89-DLI
2.	M/s Rane (Madras) Limited., 61, Velachery Road., Madras-600032.	TN/1142	S-35014(205)/86-PF-II(SS-II) dated 16-7-86	15-7-89	16-7-89 to 28-2-90	2/1470/86-DLI
3.	M/s Guest Keen Wiliams Limited., 76 Panthean Road., Egmore, Madras-8	TN/3768	S-35014/74/82-PF-II SS-II Dated 23-10-86	24-9-88	25-9-88 to 28-2-90	2/558/81-DLI
4.	M/s W.S. Insulaters. (India) Limited., Porur, Madras.	TN/5839	2/1959/DLI/Exempt/89/ Pt. I/818 dated 4-10-89	31-1-90	1-2-90 to 28-2-90	2/2548/90-DLI
5.	M/s Designs and Prototypes., L-24, Dr. Vikram, Sarabhai Instronics Estate Thiruvanmiyur, Madras-41.	TN/16023	S-35814 (100)/86-SS-II dated 10-3-86	9-3-89	10-3-89 to 28-2-90	2/1393/86-DLI
6.	M/s Soundaraja Mills Limited., Nedungadu-609603., Mayiladuthurai R.M.S. Pondicherry State.	PC/66	2/1959/DLI/Exempt/ 89/Pt. I/628-32 dated 19-1-90	31-12-89	1-1-90 to 28-2-90	2/2453/90-DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishments hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of Inda shall ensure prompt payment of the sum assured to the

nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.1/8496.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952 (hereinfater referred to as the Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insuprance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976(hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said scheme for a further period upto 28-2-90 as indicated in attached schedule-I against their names.

SCHEDULE—I

REGION **Andhra Pradesh**

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	No. & Date of the Govt's Notification vide which exemption was granted/ extended.	Date of expiry earlier exemption.	Period for exemption further extended.	C.P.F.C's File No.
1	2	3	4	5	6	7
1.	M/s. Electronics Corporation of India Ltd., Cherrapalli, Hyderabad-500762.	AP/3260	S-35014/105/81-PF-II dt. 20-2-85 (SS-II)	19-3-88	20-3-88 to 28-2-90	2/22/76/-DLI
2.	M/s. Audhra Pradesh Industrial Infrustruture Corporation Ltd., 6th Floor, Parisrama Bhavan, Basheargagh, Hyderabad.	AP/7036	S-35014/129/83-PF-II dt. 20-2-85	20-7-89	21-7-89 to 28-2-90	2/897/83-DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the enefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefitsadmissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of Inda shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/E.D.L.I./Exemp/89/Pt.1/8503.— WHEREAS M/s. Salem Industrial Plastics, Theppakulam Street, Mallasamudram-637 503, Salem District (Code No. TN/10923) have applied for exemption under subSection 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaenous Provisions Act, 1952 (19 of 1952 (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishment is without making any seprate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976(hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the condtions specified in Schedule annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt the above said establishment with retrospective effect from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner Coimbatore from the operation of the said Scheme for and upto a period of 28-2-90 (i.e. 1-9-88 to 28-2-90).

SCHEDULE

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishmen, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of Inda shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

The 22nd November 1990

No. Conf. 5 (3) 87/BR/8517.—In pursuance of sub-paragraph (i) of paragraph 4 read with paragraph 5 of the Employees' Provident Fund Scheme, 1952 the Chairman, Central Board of Trustees, Employees' Provident Fund hereby makes the foilowing amendment in the notification No. Conf. 5(3)87/BR dated 17-5-90 issued by the Central Provident Fund Commissioner.

In the said notification against Sl. No. 2,

Special Secretary, Labour
Planning & Training Department, Bihar (Patna).

may be substituted by

Additional Secretary,
Labour, Planning & Training Department, Bihar (Patna)

B. N. SOM
Central Provident Fund Commissioner

CANTONMENT BOARD, ALLAHABAD CANTONMENT

Allahabad, the 14th November 1990

No. S.R.O. T-51/CT/1474.—Whereas a draft public notice regarding the imposition of conservancy tax within the limits of Allahabad Cantonment was published in the Cantonment Board's Notice No. T-51/CT/690 dated the 7th June, 1990 as required by section 61 of the Cantonment Act 1924 (2 of 1924) for inviting objections and suggestions till the expiry of a period of thirty days from the date of publication of the said notice;

And whereas the said notice was put on the Notice Board of the Allahabad Cantonment on the 7th June, 1990.

And whereas the objection and suggestion received from the public on the said draft has been duly considered by the Cantonment Board;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 60 of the said Act, the Cantonment Board, Allahabad with the previous sanction of the Central Government, hereby imposes Conservancy Tax on all lands and buildings within the limits of Allahabad Cantonment at the rate of 2% of annual rental value of lands and buildings.

Provided that the said tax shall not be levied on lands or buildings owned by the Cantonment Board and Central Government.

File No. 53/12/C/DE/90.

JAGDISH PANDEY
Allahabad Cantonment
Cantonment Executive Officer

UNIVERSITY OF DELHI

ACCOUNTS FOR THE YEAR 1988-89 AND AUDIT REPORT

New Delhi, the 30th August 1990

No. LA/29380.—The annual accounts of the University of Delhi for the year 1988-89 alongwith the Audit Report thereon are hereby published for information as required under Section 39(2) of Delhi University Act, 1922 (Act VIII of 1922).

Sd/- ILLEGIBLE
REGISTRAR

AUDIT CERTIFICATE

I have examined the Receipt and Payment Accounts/ Income and Expenditure Accounts for the year ended 31st March 1989 and the Balance sheet as on 31st March 1989 of University of Delhi. I have obtained all the information and explanations that I have required, and subject to the observations in the appended Audit Report, I certify, as a result of my audit, that in my opinion these accounts and Balance sheet are properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the University of Delhi according to the best of information and explanations given to me and as shown by the books of the organisation.

AUDIT REPORT ON THE UNIVERSITY OF DELHI FOR THE YEAR 1988-89

1. Introductory

The University of Delhi was established in May 1922 mainly to provide for instruction and research in several branches of learning, to award degrees and for that purpose to establish and maintain Colleges, Halls and Institutions. The University is financed mainly by grants from the University Grants Commission (UGC). During the year 1988-89, the University received Rs. 2886.93 lakhs as grant (Rs. 2514.41 lakhs as Non-Plan, Rs. 326.08 lakhs as Plan and Rs. 46.44 lakhs on Miscellaneous Account).

The account of the University are audited under section 19(2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971. The annual accounts of the University for the year 1988-89 comprised of Abstracts of Receipts and Payments of the University and its Press, Income and Expenditure Accounts of the University, Profit and Loss Account of its Press and the Balance sheets as on 31-3-1989 of the University and its Press.

2. Comments on accounts

2.1 The annual accounts of the Halls/Hostels had not been consolidated and incorporated in the main accounts of the University. The annual accounts in respect of maintained Institutions/Colleges were also not yet consolidated and incorporated in the University's main accounts for audit scrutiny and Certification.

The University stated in August 1989 that the University's accounts for 1988-89 were closed without incorporating the accounts of the Halls/Hostels and maintained Institutions/ Colleges due to non-receipt of accounts from them. The delay in submission of the accounts of the maintained Institutions/Colleges was likely to persist for some more time.

2.2 Valuation and verification of assets.—The total value of assets acquired upto the end of March 1989 as per Balance sheet aggregated to Rs. 4383.01 lakhs as shown below :—

Sl. No.	Nature of asset	Total value of assets (Rs. in lakhs)
1.	Land	121·27
2.	Building	1,401·29
3.	Furniture and equipment	1,481·42
4.	Vehicles	19·46
5.	Science Apparatus	146·95
6.	Books and Periodicals	1,211·21
7.	Sports Equipment and Trophies	1·41
	Total: Rs.	4,383·01

The value of assets in the balance sheet was not verifiable as the University had neither maintained any centralised Assets Register nor tallied these balances with the total of their value in the stock registers maintained in its 79 departments.

The department stock registers also did not contain progressive total cost of all the assets entered therein.

The details of all buildings were required to be entered in the property register maintained in the Engineering Department of the University but the total value of all buildings was not posted in the property register. Besides, the total cost of all buildings entered in the register worked out to Rs. 1262.35 lakhs as against Rs. 1401.29 lakhs appearing in the balance sheet. The value of assets shown in the accounts could not, therefore, be treated as authentic.

Similar irregularities were pointed out in the Audit Report for 1987-88, the irregularities still persisted. The University stated in December 1989 that the property register was being completed. (ii) physical verification of assets, required to be conducted once a year was not carried out in 16 departments during the year 1988-89. Out of 16 departments physical verification in respect of 13 departments had never been conducted.

The University stated in January, 1990, that of the 16 departments pointed out by Audit, physical verification was not required to be conducted in respect of 7 departments as they had no articles of stores on their charge and articles of furniture etc. in the 7 departments were on the charge of main stores of the South Campus. As for the remaining 9 departments, verification of stores had been completed in respect of 6 departments. The verification was in progress in the remaining 3 departments.

2.3 Provident Fund Account.—The balances of Rs. 2172.90 lakhs had been shown under the head 'Provident Fund Accounts' on the liabilities side of the balance sheet of the University as on 31-3-89. This amount could not be verified nor could the exact liability on account of Provident Funds ascertained as the work relating to completion and squaring up of Broadsheets of Provident Funds was in arrears since 1982-83 despite the fact that a special cell had been created in July 1988. There was a difference of Rs. 3,23,841.78 between the account figures and the total of balances in individual accounts at the end of 1981-82, the details of which were not available. Besides, there was a difference of Rs. 2,31,919.52 in the total receipts between the account figures and the total of balances in idividual accounts of the subscribers during the year 1981-82 which was still to be located. The University stated in December 1989 that the work of reconciliation was in hand and special watch was being kept for clearance of differences.

2.4 Other deposit accounts.—A sum of Rs. 1.03 lakhs was shown on the Liabilities side of the Balance sheet as on 31st March 1989 under the head 'Other Deposit Accounts'. The

amount represented the net effect of the transactions relating to deductions from salary bills, deposits, grants from other bodies schemes and other deposits etc.

A scrutiny of broadsheet maintained for such transactions revealed as under :—

(i) The balances as on 31st March 1989 against these heads were as under :

Sl. No.	Name of head	Balance as on 31-3-1989
1.	Deposits	5,25,073·74
2.	Grants	(—) 28,17,825·98
3.	Other schemes	(—) 1,78,604·58
4.	Other deposits	23,16,515·13
5.	Deductions from salary bills	2,62,417·51
	Total: Rs.	1,01,575·82

As already commented upon in the Audit Reports for 1984-85 to 1987-88 the amount payable should be shown on the liabilities side and the amount recoverable on the assets side of the balance sheet. But the debit balances under the sub-heads 'Grants' and 'other Schemes' continued to be shown as minus liabilities.

Further, the balances under the heads cited above could not be verified with those shown in the respective ledgers as the ledgers had not been maintained.

(ii) The Schedule of 'Other Deposit Accounts' of the Balance sheet as on 31st March 1989 did not exhibit the details of 'amount payable and amount recoverable' to ascertain the actual net balances shown under each sub-head of this account.

2.5 Outstanding Advances.—A sum of Rs. 165.33 lakhs on account of advances paid to suppliers for purchase of stores, equipments, building materials, University departments for holding conferences, seminars, payments of customs duty, opening of letters of credits for importing of plants, equipments and chemicals from abroad, etc. was outstanding as on 31st March 1989 as detailed below :

Sl. No.	Category	Balance as on 31-3-1989 (in Rs.)
1.	Building	12,31,127
2.	Furniture and equipment	58,17,725
3.	Science Apparatus	3,92,998
4.	Books and Periodicals	4,485
5.	Research schemes, Seminars, Fellowships	48,53,078
6.	Other advances charged to Income and Expenditure a/c of respective years.	42,34,017
		1,65,33,430

Out of the above amount, advances amounting to Rs. 19,22,555 pertained to the previous years upto 1987-88. These advances were required to be adjusted before the close of the finacial year in which these advances were given. Further contrary to the accepted accounting procedure the advances were charged, to final heads of account. This irregular procedure was commented upon in the previous Audit Reports also. The University stated in December 1989 that the matter had been referred to the Ministry in March 1989 justifying the process of charging advances to the final head. The University however, did not intimate the reasons for non-adjustment of these advances particularly advances for previous years. The University stated in January 1990 that the amount of advances had been brought down from Rs. 165 lakhs to Rs. 80 lakhs at the end of December 1989.

(b) Advances amounting to Rs. 33.96 lakhs paid to various colleges for conducting University examinations were outstanding due to non-submission of adjustment bills, as per yearwise details given below :

Year	Amount (in lakhs)
1981–82	0·61
1982–83	0·19
1983–84	0·23
1984–85	0·24
1985–86	0·96
1986–87	0·97
1987–88	5·10
1988–89	25·66
Total: Rs.	33·96

2.6 Amount receivable.—A sum of Rs. 4.51 lakhs shown on the assets side of the Balance sheet as amount receivable comprises of Rs. 0.08 lakhs as fee from students, Rs. 1.77 lakhs as dues of Computer Centre, Rs. 1.57 lakhs on account of licence fee, etc. recoverable from allottees of residential accommodation, Rs. 0.67 lakhs and Rs. 0.42 lakh on account of dues of guest house and royalty charges respectively. The recovery of Royalty of Rs. 0.45 lakh due from a publisher was outstanding since 1979 and the case was under arbitration. The University intimated in January 1990 that the amount receivable on account of Licence fee and guest house had come down to Rs. 0.73 lakh and Rs. 0.56 lakh respectively.

2.7 *Non-maintenance of Broadsheets* :—The following advances appeared on the assets side of the balance sheet as on 31st March 1989.

Sl. No.	Head	Amount (in Rs.)
1.	House Building Loan	5,43,76,172
2.	Conveyance Loan (Out of non-plan)	6,74,425
3.	Conveyance Loan (out of Revolving Fund)	4,18,029

The correctness of the amount shown against house building loan could not be verified as the closing of broadsheet was arrears since 1986-87.

Similarly, the correctness of the figures shown against conveyance Loan (non-plan) could not be verified as the broadsheed for the year 1988-89 had not been maintained properly. Besides, there was a difference of Rs. 1,47,294 between the account figures and the total of balances in individual accounts at the end of 88-89 which had not so far (October 1989) been reconciled.

The correctness of the figures shown against Conveyance loan (Revolving Fund) also could not be verified as the broad-sheet showing the balances due against each individual had not been maintained. The University stated in December 1989 that the difference pointed out was under reconciliation.

2.8 *Bank Reconciliation* :—The University operates 76 bank accounts. A review of the bank reconciliation statements upto March 1989 revealed differences between the balances shown in the Bank Pass Book and the University's Cash Books which had not been settled as per details given below:—

Particulars	Difference over 3 yrs.	Outstanding for between 1-3 yrs.	Less than one year	Total
1	2	3	4	5
		(Rupees in lakhs)		
1. Amounts credited by the Bank but not appearing in the Cash Book .	0·28	92·31	15·32	107·91
2. Amount remitted to Banks but not appearing in the Bank Pass Books .	0·36	17·11	9·35	26·82
3. Cheques issued but not encashed .	0·08	0·24	37·28	37·60
4. Cheques encashed but not appearing in the Cash Book	0·12	3·74	25·24	29·10
			TOTAL	201·43

Bank reconciliation in respect of 7 Bank accounts was in arrears.

The University stated in December 1989, that differences amounting to Rs. 131.34 lakhs had since been cleared.

2.9 *Closing balance shown as minus in Cash Books* :—As on 31-3-1989 there was a minus balance in the cash books of the following accounts, as per details given below :

Sl. No.	Name of the account	Balance as on 31-3-1989 (in Rs.)
1.	Maintenance grant account No. II	(—) 2,43,930·88
2.	Maintenance grant account No. III	(—) 9,05,616·03
3.	External Candidates Cell Account (C&I-325)	(—) 12,376·65
4.	Department Receipt A/c No. 445	(—) 80,476·65
5.	Department of Education (Plan A/c)	(—) 9,713·70

The University stated in December 1989 that these are the subsidiary cash books of the main account and corresponding funds could not be transferred to these accounts from the main account in time. However, sufficient funds were available in these accounts in the bank and there was no over drawal.

3. *University Press*.—The University had been running a printing press departmentally on commercial lines since 1971-72. The press had been running into losses except for the years 1987-88 and 1988-89 when the profit earned was Rs. 4.00 lakhs and Rs. 0.52 lakhs respectively. The cumulative loss incurred upto 1988-89 was as under :

Year	(Rs. in lakhs)
1981-82	6·92
1982-83	12·13
1983-84 . . .	12·82
1984-85	17·85
1985-86	19·73
1986-87	27.43
1987-88	23·46
1988-89	23·02

Such losses were being met by obtaining the interest free loans and by transferring the funds from other accounts of the University. The position of loans etc. at the end of 1988-89 was as under :

Accounts from which loan etc. was obtained	Amount (Rs. in lakhs)
Miscellaneous account . .	5·51
Maintenance Grant . .	20·02
	25·53

The amount of loan had increased from Rs. 13.08 lakhs in 1984-85 to Rs. 18.51 lakhs in 1985-86, Rs. 23.43 lakhs in 1986-87, Rs. 24.68 lakhs in 1987-88 and Rs. 25.53 lakhs in 1988-89.

4. *University Press Outstanding Dues (Recoverable)*

The dues of the Press recoverable from the departments, colleges and outside parties etc. as on 31st March, 1989 amounted to Rs. 13.66 lakhs as detailed below :—

Year from which due	Amount (Rs. in lakhs)
1967–68 to 1980–81	1·81
1981–82	0·63
1982–83	0·14
1983–84	0·55
1984–85	0·56
1985–86	0·41
1986–87	0·25
1987–88	0·47
1988–89	8·84
	13·66

Out of Rs. 13.66 lakhs, an amount of Rs. 4.43 lakhs was recoverable from the indentors other than the University and its departments. The progress of recoveries relating to earlier years upto 1985-86 was very slow as out of Rs. 4.36 lakhs as on 31-3-1988 a sum of Rs. 0.26 lakhs could only be recovered during the financial year 1988-89.

The University stated in December 1989 that out of Rs. 13.66 lakhs outstanding as on 31-3-1989, Rs. 8.42 lakhs had been adjusted leaving a balance of Rs. 5.24 lakhs as on 31-10-1989. However, it was observed that there was very little progress of recovery of outstanding upto 1985-86 which stood at Rs. 4.10 lakhs.

5. *Computer Centre-Outstanding bills* :—The University had a computer, which was being utilised by it as well as other private agencies on payment basis. A sum of Rs. 1,77,170.12 was recoverable from various departments/ colleges of the University and other private agencies as on 31st March 1989. Yearwise break up of these outstanding bills was as under :—

Year	Amount (in Rs.)
1972–73	13,776·80
1973–74	11,001·80
1974–75	9,674·19
1975–76	6,785·13
1976–77	5,441·66
1977–78	28,125·20
1978–79	22,661·38
1979–80	21,226·45
1980–81	20,705·55
1981–82	7,092·08
1982–83	7,981·53
1983–84	9,832·08
1984–85	7,406·24
1986–87	5,460·03*
Grand total:	1,77,170·12

*—Bills for 6/84 and 7/84 raised on 22-1-1987. The progress of recoveries especially relating to earlier years upto 1979-80, 1981-82 to 1983-84 was nil. Out of Rs. 1,79,363.45 outstanding as on 31st March 1988, only a sum of Rs. 2,193.33 was recovered during the financial year 1988-89.

The University stated in December 1979 that cases for recovery of dues were being persued with the parties concemed, but due to passage of time and other reasons, the response had been poor and the write-off of some very old amounts was under consideration.

6. *Other Irregularities*

6.1 *Non-refund of Rs. 3.18 crores to UGC in respect of Employer's Contribution to Provident Fund.*

The existing employees who joinet service prior to 1-1-1986 were given option from time to time to opt for the General Provident Fund-cum-Pension-cum-Gratuity Scheme. In the case of employees who had opted for the scheme, employer's share towards Contributory Provident Fund plus interest thereon was required to be withdrawn from their accounts and refunded to University Grants Commission. The University withdrew the employer's share plus interest thereon in respect of those employees who opted for General Provident Fund-cum-Pension-Gratuity Scheme and the total amount accumulated this account was Rs. 418.03 lakhs as on 31-3-1989. Out of the amount of contribution which was to be refunded, the UGC permitted the University to utilise Rupees One Crore, towards meeting partly the expenditure on construction of staff quarter (Housing-scheme) estimated to cost Rs. three crores approved by the UGC. The University however utilised Rs. 171.92 lakhs upto 31-3-1989 against the approved amount of Rupees one crore without prior permission of the UGC and had also not refunded the balance amount of Rs. 246.11 lakhs. The actual balance as per accounts is Rs. 249.34 lakhs.

The University stated in December 1989 that the UGC had approved the proposal of the University for the utilisation of another Rs. one crore towards the construction of staff quarters.

6.2 *Irregular payment of Rs. 26.17 lakhs (Approx.) to staff*

The University Grants Commission in April 1985 accorded sanction for the revision of scale of pay of Senior Laboratory Assistants from Rs. 380-560 to Rs. 425-640 on the condition that no arrears would be paid and this scale would be personal to the present incumbents and the revision would be treated as notional. The Executive Council at its meeting held on 1-10-1985 considered the implications of placing the Senior Laboratory Assistants of the Colleges in the revised scale of pay of Rs. 425-640- vis-a-vis the Senior Laboratory Assistants of the Departments of the University. The Council resolved that Senior Laboratory Assistants of the University and Colleges may be placed in the revised scale of Rs. 425-640 with effect from 1-1-1973 which will be personal to them on the condition that no arrears would be paid and this would be a notional revision. The Council further resolved that University Grants Commission be approached with the request not to treat the revision as notional but to pay arrears to the incumbents concerned with effect from 1-1-1973. The University Grants Commission in February 1989 regretted its inability to accept the request of the University for payment of arrears to the Senior Laboratory Assistants with effect from 1-1-1973. The University without the concurrence of the University Grants Commission issued circular in June 1989 addressed to all the principals/Heads of Department to pay arrears in the Senior Laboratory Assistants for the period from 1-1-1973 to 29-4-1985 or for the relevant period till 29-4-1985 as the case may be. This resulted in an irregular payment of Rs. 26.17 lakhs approximately to the Senior Laboratory.

The University stated in December 1989 A. D. that the Executive Council of the University had been vested with the powers to create administrative, ministerial and other necessary posts and to determine the emoluments of such posts and reference to the UGC was made only in the context of getting additional funds for meeting the expenditure. The reply of the University was not convincing as the commission had accorded sanction for the revision of scale of pay of Senior Laboratory Assistants on the condition that no arrears would be paid in this regard and this would be a notional revision.

6.3 *Avoidable extra expenditure of Rs. 12.25 lakhs.*—

Item rate tenders for the work 'construction of academic complex, South Campus, Dhaula Kuan, New Delhi S. H. Library Building' estimated to cost Rs 47.86 lakhs (based on DSR 1981) were invited in May 1985. In all five tenders were received; the lowest offer of contractor 'A' at 33.42%

above was rejected on the ground that the progress of another work being done by the contractor was not satisfactory. The second lowest offer of contractor 'B' at 51.1% above also could not be availed as the validity period of the tender had expired.

Thereafter, tenders were sent to nine selected firms after giving pre-qualification tender notice in November 1985. In response four tenders were received. The lowest tender received from Contractor 'C' at 75.49% above the estimated cost was rejected on the ground that the contractor filed unrealistic rates for some items and had executed, works mainly in Orissa and had no works of specified importance to their credit in Delhi except a pavillion for Orissa Government. The work was awarded to NBCC at the negotiated rate of Rs. 85.50 percent above (DSR 1981) in May 1986 to be completed in 18 months. The following points were noticed in audit.

Although the formal acceptance of the plans and preliminary estimates was sanctioned by the UGC in June 1985 the work could be started only in May 1986 on account of delay in finalisation of tenders.

As stated by the Superintending Engineer of the University, rates prevailing at the time of award of work of NBCC for similar nature of work were 52.39 percent above and 51.81 percent above estimated price. By awarding the work to NBCC at 85.50 percent above the prevailing market rates the university incurred an extra expenditure of Rs. 12.25 lakhs upto 18th running bill.

The work was to be completed in 18 months i.e. in November 1987 but was still in progress. The estimated cost of the project had also increased from Rs. 97.13 lakhs to Rs. 123.45 lakhs. Had the work been awarded to the Contractor 'B' at the rate of 51.1% above the prevailing market rates the University would not have to incur the extra expenditure. As the tender of contractor 'B' was technically acceptable no reason was recorded for the expiry of the vailidity to the tender.

The University stated in December 1987 that the work had since been completed.

(b) Interest free mobilization advance of Rs. 8.88 lakhs paid to NBCC in August 1986 was also in contravention of the orders of the Government of India dated 15-7-1983 according to which mobilization advance limited to a maximum of 10% of the estimated cost put to tender or Rs. one crore, whichever was less, could be paid to a contractor only in respect of work costing Rupees one crore and above.

6.4 *Equipment lying idle* : Government of Japan agreed in October 1984 to give a grant of 500 million yen (about Rs. 3.30 crore) for the improvement of educational and research equipment of University as most of the scientific equipments received under the Ford Foundation grants had outlived their normal life and many other instruments obtained from the funds received from the University Grants Commission needed replacement. Orders for the required instruments were placed in March 1985 with the Japanese manufacturers/suppliers who had their agents for providing after sales service in India. These instruments were received by the University during the period January to March 1986. Out of the equipment costing about Rs. 3.30 crores equipment costing Rs. 72 lakhs had been installed in the old building and equipment valuing Rs. 2.23 crores had been installed in the new instrumentation building. Two instruments costing about Rs. 25 lakhs had still not been installed and put to use even after a lapse of three and half years. Further no log book in respect of instruments, which had been put to use, was maintained. The University stated that log books would soon be introduced after forming users committees for all the equipments. In the absence of the log book it could not be ensured in audit that these instruments are being used to its optimum capacity.

Besides, no water connection and power connection required for commissioning the instruments costing Rs. 2.48 crores had been sanctioned so far by the Municipal Corporation of Delhi/DESU due to the non completion of the building. The building in which the instruments had been installed had also not been officially handed over to the University so far (October 1989).

6.5 *Physical verification (Library)*: Delhi University System comprising of Central Library and 23 constituent units had a collection of 11,49,873 books as on 31st March 1989. The first complete physical verification of the library was conducted in 1941 and thereafter in 1971 when 53,077 books out of 3.86 lakhs were reported to be missing/lost. As a result of follow up action on the findings of stock verification conducted in 1971 a stock verification committee was set up towards the end of 1976. The stock verification committee of the library decided to create a stock verification cell in December 1976. The stock verification cell consisted of sanctioned strength of one Professional Junior, One Professional Assistant, 2 Library Clerks, and two Library Attendants.

The verification cell committee decided on 24-3-1977 to complete one circle of de-novo stock verification of about 6 lakhs volumes existing as on 31st March 1977 in a phased programme by 31st December 1982. It was also decided that the stock verification of books added or to be added between April 1977 and December 1982 would be taken up in the second round of stock verification after the completion of the first round.

As a result of partial stock verification conducted between March 1977 to March 1984 books numbering 396084 out of 600000 (existing as on 31st March 1977) were physically verified.

The Executive Council decentralised the Library system in March 1983 and the work of stock verification was entrusted to respective units of the Library system. Though the stock verification committee, in April 1984, suggested that the desirability of retaining the posts and justification for continuing the verification cell should be examined by the University Library Committee no decision had been taken (October 1989) and the posts sanctioned for verification cell were continued even after decentralisation of work. The University stated in October, 1989 that the stock verification cell continued thereafter but its staff was merged with the staff of the system except Professional Junior and 32,273 books were verified between April 1984 to March 1986. The University did not furnish the details of work done after March 1986 on the ground that the staff was merged with the system. The University however, stated in December 1989 that the Professional Junior Professional Assistant and two Library Attendants had been utilised against vacant posts in the library system from 1984-85, 1985-86 and 1987.

Thus the stock verification of above 6 lakh volume of books as on 31st March 1977 which was required to be completed by 31st March 1982 had not been done even by March 1989. The second round of stock verification of books added during April 1977 to December 1982 had also not been taken up. The expenditure of Rs. 4.69 lakhs incurred on the staff of verification cell from April 1986 to October 1989 also did not serve the intended purpose.

6.6 *Avoidable extra expenditure of Rs. 3.05 lakhs* :

Tenders for the work 'Construction of boys hostel at South Delhi Campus S. H. Building work including sanitary installations' estimated to cost Rs. 16.04 lakhs (based on DSR 1981) were invited in October 1986. In response two tenders were received from contractors 'A' and 'B' but were not opened on the grounds that contractor 'A' was already doing the work of S. P. Jain Centre and Science Block, the progress of which was not satisfactory and the other contractor 'B' had already been awarded the work of development of South Campus. The work was therefore, awarded to National Building construction corporation in May 1987, at the negotiated rate of 103.43% above the estimated cost, to be completed in a period of 12 months.

While submitting the revised estimates to Central Public Works Department for approval, it was stated that the cost of the project had escalated from Rs. 57 lakhs to Rs. 69.39 lakhs due to increase in cost index as well as due to award of work to NBCC at higher rates over and above the prevailing market rates. According to the Government of India orders the NBCC could get a price preference upto 100% only over and above the market rates, where as the work was awarded to NBCC at 33.5% higher rates over the prevailing market rates. The University had also made payment of Rs. 18.51 lakhs up to the 9th running bill as on May, 1989.

The work was to be completed in a period of 12 months i.e. by May 1988 but is still in progress. The NBCC suspended the work in February 1989 after completing 57% of the cost of work due to dispute in the payment of bills. It was mutually decided in the meeting in July 1989 that the work be treated as closed in the interest of both the parties and the University awarded in July 1989 the Balance work to two private contractors at rates which are less than the rates on which the work was got done from the NBCC. The University stated in January 1990 that because of the non-receipt of funds from the UGC from January 1989, it was considered desirable to treat work closed in July 1989.

A scrutiny of the records revealed that due to the injudicious decision of awarding the work to NBCC at 33.5% over and above the market prevailing rates the University incurred extra expenditure of Rs. 3.05 lakhs. The University awarded the balance work to two private contractors 'B' and 'D'. The contractor 'B' was awarded work at 65.41% above in 1989. Contractor 'B' was the same contractor whose tender was not opended in response to the earlier tender called for by the University in October 1986, on the plea that his work was not satisfactory. The plea of the University that the contract with the NBCC was treated as closed on July 1989 because of non receipt of funds from UGC was also no correct, as the university had re-awarded the balance work in July 1989 itself.

6.7 *Loss of Revenue due to non-allotment of flats caused by delay in their completion* :

Tenders for the work 'Construction of Housing Complex at South Campus, S.H. : Construction of Type I, II, III, IV and V flats' estimated to cost Rs. 52.53 lakhs (DSR 1981) were invited on May 7, 1984, due to 12 June 1984. In response 5 tenders were received. The lowest offer of contractor 'A' at 17.35% above was considered reasonable and the work awarded on 31 August 1984, to be completed in 18 months i.e. by February 1986. Its 10th running bill amounting to Rs. 1,27,490 (Net) was passed for payment on 17 March 1987. The total work done upto that time was Rs. 33,12,605/-. The University granted last extension of time for six months on 10-8-87 but no progress was made. The contract was, therefore, rescinded on 21 March 1988, with the stipulation that expenses incurred on left over work in excess of the amount payable to the contractor would be borne by him.

Fresh tenders were invited for the balance work at an estimated cost of Rs. 43.84 lakhs (DSR 1981) on 6/8-4-88 due on 6-5-1988. The balance work was awarded to contractor 'B' being lowest, at 65.41% above on 22 August 1988 to be completed in 9 months. The work is still in progress (September 1989) though it was to be completed by 30th May 1989. Extension of time has, however been granted to the contractor upto December 1989. The total value of work done upto August 1989 was Rs. 26,01,873 against the tendered amount of Rs. 72,48,399/-.

As per the original time schedule the work was to be completed by 9-3-1986 but is still in progress. As a result of abnormal delay the cost of the project has escalated from Rs. 88,64,900/- to Rs. 1,11,88,125/- due to increase in cost index from 274 as on 18-8-1984 to 421 as on 1-11-1988 and the difference in rates in levy and non levy cement.

Thus, inordinate delay in completion of work which is still in progress, caused loss of revenue to the University due to non-allotment of flats to the employees of Delhi University besides increase in expenditure on the project arising from escalation in the prices of material wages of labour, etc.

The University stated in December 1989 that the entire work is scheduled for completion by May 1990 and contract with 'A' was rescinded and the case for recovery of excess cost was under arbitration.

6.8 *Delay in execution of major work resulting in blocking of funds and increase in cost of prejects (SDC)* :

During the period from 1984-85 to 1988-89 South Delhi Campus undertook 13 major works each costing more than Rs. 5 lakhs at a total tendered cost of Rs. 236.71 lakhs. These works were scheduled for completion between August 1985 to September 1988.

Test check of records relating to these works revealed that 9 works at tendered cost of Rs. 186.59 lakhs which were scheduled for completion between August 1985 and September 1988 were still in progress in July 1989. The remaining 4 works at tendered cost of Rs. 50.12 lakhs were completed after delays ranging from 6 months to 23 months. Delay in execution of works caused blocking of funds besides increase in expenditure of works arising from escalation in the prices of materials, wages of labours etc.

The University stated in December 1989 that the delay in execution of works was due to non-release of funds by the University Grants Commission.

6.9 *Blocking of funds* : In April 1983 the Municipal Corporation of Delhi (MCD) intimated the University of Delhi that it was required to pay Rs. 90 lakhs on account of property tax including general tax in respect of university buildings upto 1983-84. The demand for general tax in respect of University buildings was included therein for the first time and the University had not paid general tax so far to the MCD as it held that it was exempted therefrom as per provisions contained in Section 115(4), of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957.

Accordingly, the University approached the Univxersity Grants Commission (UGC) in May 1983 for funds to liquidate the tax liability. UGC released grant of Rs. 45 lakhs to the University in March 1984 for payment of property tax out of which the University paid Rs. 10 lakhs to MCD. The University received a further amount of Rs. 22.50 lakhs for payment of property tax as part of its maintenance grant as per provision proposed in its revised estimates for 1984-85.

Meanwhile as advised by the standing council in May 1983 the University filed a petition in October 1983 in the High Court of Delhi challenging recovery of general tax in respect of University buildings. The petition was admitted and the recovery was stayed by the High Court in November 1984.

In March 1985 the University wrote to UGC that on advice from its Senior Counsel, it had decided not to make payment to the MCD and an amount of Rs. 57.5 lakhs would be refunded to the UGC in March 1985. Simultaneously it asked for sanction of the grant for the same amount i.e. Rs. 57.5 lakhs for House Building Advance Revolving Fund. However, the UGC intimated in March 1985 that the University could not refund the amount to the UGC nor could this amount be diverted for any other purpose. After receiving advice from the Senior Counsel, the University decided to keep the amount of Rs. 57.5 lakhs in a separate account with the State Bank of India. The money still continues to be kept in a separate account from March 1985 onwards.

Thus, although the University had obtained legal advice in May 1983 that it should challenge the recovery of property tax as it had a good case and also filed a writ petition against the recovery in October 1983, it nevertheless obtained additional grant for the same in March 1984 and again during 1984-85 though these were not immediately required. Further although the UGC was apprised that the amount was not required to be paid to the MCD immediately as per stay granted, it did not allow the University to refund the same. The resulted in blocking of funds amounting to Rs. 57.5 lakhs i.e. Rs. 35 lakhs from March 1984 and Rs. 22.50 lakhs from March 1985 onwards.

The University stated in July 1989 that the requirement was projected to UGC in revised estimates for 83-84 keeping in view the constant threats from MCD for freezing its bank account. UGC stated in June 1989 that it received a reference from the University that the case was not likely to be decided by the High Court in the near future and the Senior Counsel of the University had advised that the amount may be refunded to the UGC provided it agreed to pay the property tax immediately, if so decided by the High Court. UGC also stated in October 1989 that it was now writing to the University to refund the unspent balance lying with it immediately.

The matter was reported to the Ministry of Human Resource Development (Department of Education) in May 1988. The Ministry stated in July 1988 it had no comments to offer.

6.10 *Internal Audit* : The system of conducting the Internal Audit for checking of transactions and maintenance of records and also compliance of rules, orders and financial arrangements was introduced by the University in 1958-59. The Internal Audit wing comprise of an Internal Audit Officers, 3 Section Officers, 8 Senior Assistants, 4 Assistants and 2 Junior Assistant Typists.

As on 31st March 1988, the University had 79 departments, 20 Halls/Hostels and maintained institutions, 16 Finance Sections and 6 Establishment Sections out of which audit of 34 departments, 7 Halls/Hostels and maintained institutions had been conducted during 1988-89. Internal audit had never been conducted in respect of 13 institutions, 16 Finance Sections and 6 Establishment Sections. The unit did not have any Manual containing guidelines for its functioning.

PLACE : NEW DELHI
DATED : 4-5-90

(DHARAM VIR)
DIRECTOR OF AUDIT-I
CENTRAL REVENUES
NEW DELHI-2

UNIVERSITY OF DELHI

STATEMENT NO. I

BALANCE SHEET OF THE UNIVERSITY OF DELHI AS ON 31-3-1989

As on 31-3-1988	FUNDS AND LIABILITIES	As on 31-3-1989
(1)	(2)	(3)
Rupees	**FUNDS**	*Rupees*
41,75,45,504	1. Grants	42,69,94,624
46,88,136	2. Gifts & Donations	47,18,166
19,45,67,707	3. Provident Fund	21,72,90,473
58,54,299	4. Depreciation Reserve Fund	63,25,497
1,64,584	5. Publication Fund	2,37,458
10,59,087	6. Vice-Chancellor's Students Fund	10,24,322
1,56,59,629	7. Endowment Fund	1,61,41,973
4,22,812	8. Conveyance Loan Fund	4,25,556
5,29,74,588	9. House Building Loan Fund	6,43,07,063
2,06,167	10. Publication Revolving Fund	2,30,780
3,21,463	11. Royalty (Deptt. of English)	3,75,514
1,55,875	12. Publication of Oriental Insects	1,60,487
17,25,724	13. Hindi Medium Implementation Fund	25,95,158
	LIABILITIES	
	1. (a) Unutilised Grants	2,58,84,952
1,08,00,000	(b) Maintenance Grant Received in advance	1,60,00,000
28,27,459	2. Science Caution Money and Library Deposit	37,13,759
18,76,684	3. Contractors' Security Deposits	21,57,148
47,62,017	4. Scholarships Deposits	27,88,591
86,90,972	5. Research Scheme Deposits	1,03,45,342
11,52,917	6. Deposit intt. respect of Summer Instt. Seminars, Workshop/Colloquima etc.	10,22,717
4,86,444	7. Other Deposit	1,07,577
21,52,945	8. Amount Payable	42,95,445
20	9. Book Bank (Deptt. of Education)	20
20,26,310	10. N. S. S. Account	25,58,754
4,93,883	11. Adult & Continuing Education A/c	2,30,692
47,25,383	12. Property Tax Account	47,51,028
61,570	13. Group Insurance Scheme Account	1,65,773
73,54,02,179	TOTAL	81,48,48,869

BALANCE SHEET OF THE UNIVERSITY OF DELHI AS ON 31-3-1989

As on 31-3-1988	ASSETS	As on 31-3-1989
(1)	(2)	(3)
Rupees		*Rupees*
12,63,09,869	1. Building	14,01,29,352
1,02,46,495	2. Land	1,21,27,102
13,57,29,041	3. Furniture & Equipment	14,81,41,869
17,69,159	4. Vehicles	19,45,393
1,42,00,791	5. Science Apparatus	1,46,95,297
10,95,64,252	6. Books & Periodicals	12,11,20,876
1,34,252	7. Sports Equipment & Trophies	1,41,368
5,18,910	8. Amount Receivable	4,51,270
	9. Provident Fund	
12,99,00,429	(a) Investments	13,22,96,500
4,75,94,424	(b) Interest receivable on Investments	4,92,44,643
	10. Other Investments	
13,15,000	(a) Depreciation Reserve Fund	13,15,000
1,01,000	(b) Publication Fund	1,78,000
3,80,500	(c) Vice-Chancellor's Students Fund	3,80,000
1,16,42,970	(d) Endowment Funds	1,20,09,577
89,817	(e) Deptt. of Social Work	89,817
25,42,100	(f) Science Caution Money & Library Deposits	23,89,100
7,30,000	(g) Investment Account (Computer Centre)	7,30,000
3,00,000	(h) Royalty Fund (Deptt. of English)	3,45,000
51,04,629	(i) Plan Development A/c	1,31,20,865
75,000	(j) Publication Revolving Fund	75,000
1,00,000	(k) Publication of Oriental Insects Fund	1,00,000
9,50,000	(l) Hindi Medium Implementation Fund	10,00,000
—	(m) Miscellaneous Account	1,35,000
	11. Advances & Loans	
72,525	(a) Permanent Advances	97,425
6,95,207	(b) Other Advances	10,17,934
65,000	(c) Loan to the University Press	—
3,60,598	(d) Conveyance Loan	4,18,029
4,45,71,777	(e) House Building Loan	5,43,76,172
24,03,000	12. University Press	25,53,000
4,795	13. Security with D.E.S.U. (Deptt. of Social Work)	4,795
8,36,16,166	14. Cash at Banks	8,82,32,451
43,14,473	15. Excess of Expenditure over Income	1,59,87,534
73,54,02,179	TOTAL	81,48,48,869

Note on Account :

1. *General :*

These Annual Accounts do not include the accounts of the Halls/Hostels and Maintained Institutions/Colleges, which will be submitted separately.

2. *Liabilities : Serial No. 12*

The question of payment of general tax on properties of the University to the MCD is subjudice.

3. *Assets : Sl. No.* 11(*b*) *Other advances*

This figure does not include the following advances charged to the respective final head of account. The Adjustment of these advanes are being watched through the registers of advances and the position of advances awaiting adjustments as on 31-3-1989 is given category-wise:

Category	Previous Years Rupees	1986-87 Rupees	1987-88 Rupees	1988-89 Rupees	Total Rupees
1. Building	12,443	20,000	32,500	11,66,184	12,31,127
2. Furniture Equipment . .	16,475	—	3,17,159	54,84,019	58,17,725
3. Science Apparatus . .	5,730	—	2,56,861	1,30,407	3,92,998
4. Books & Periodicals . .	—	—	—	4,485	4,485
5. Research Schemes, Seminars Fellowships . .	96,079	7,151	19,706	47,30,142	48,53,078
6. Other Advances charged to Income & Expenditure account of respective Years .	3,22,084	2,03,959	6,12,408	30,95,566	42,34,017
	4,52,811	2,31,110	12,38,634	1,46,10,875	1,65,33,430

Certified that the grants received by the University have been utilised for and on the purpose for which they were sanctioned and paid.

STATEMENT NO. II

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 1988-89

For the year 1987-88	INCOME	For the year 1988-89
Rs. P.	I. NON-PLAN ACCOUNT (MAINTENANCE GRANT ACCOUNT)	Rs. P.
14,93,94,637 ·59	1. Grant excluding capitalised expenditure	16,93,88,723 ·68
41,22,816 ·16	2. Fees from Students	41,04,010 ·40
65,32,912 ·99	3. Examination Fees	1,10,45,764 ·10
10,54,377 ·62	4. Other Fees	15,24,312 ·17
1,94,350 ·90	5. Health Centre Contribution	2,30,772 ·00
1,27,422 ·05	6. Sale of Publication	2,82,715 ·16
55,776 ·50	7. Photocopy Charges	1,21,574 ·50
768 ·00	8. Graphic Arts Centre	41,070 ·00
15,94,450 ·65	9. Licence Fees, Electricity, Water Charges etc.	14,74,673 ·09
	10. Miscellaneous	
3,22,140 ·34	(a) Interest	7,88,337 ·95
38,84,555 ·69	(b) Other Items	17,71,201 ·93
16,72,84,208 ·49	TOTAL—I	19,07,73,154 ·98
	II. PLAN DEVELOPMENT ACCOUNT (GRANTS EXCLUDING NON-RECURRING GRANTS)	
99,433 ·00	(a) Fifth Plan Scheme	—
14,24,409 ·00	(b) Sixth Plan Scheme	2,95,329 ·72
60,609 ·86	(c) Centres of Advanced Studies & Research	—
1,20,000 ·00	(d) Seventh Plan Schemes	1,50,000 ·00
17,04,451 ·86	TOTAL-II	4,45,329 ·72
16,89,88,660 ·35	TOTAL—I & II	19,12,18,484 ·70
1,08,62,502 ·37	Excess of Expenditure over Income	1,16,73,060 ·84
17,98,51,162 ·72	GRAND TOTAL	20,28,91,545 ·54

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 1988-89

For the year 1987-88			EXPENDITURE	For the year 1988-89		
Pay & Allowances	Other Charges	Total		Pay & Allowances	Other Charges	Total
Rs. Ps.	Rs. Ps.	Rs. Ps.		Rs. Ps.	Rs. Ps.	Rs. Ps.
			I. NON-PLAN ACCOUNT (MAINTENANCE GRANT ACCOUNT)			
1,57,43,051·78	57,38,282·43	2,14,81,334·21	1. General Administration	1,78,64,903·76	71,68,835·20	2,50,33,738·96
45,41,099·30	1,21,37,453.76	1,66,78,553·06	2. Office of the Controller of Examinations	49,95,214·45	1,54,23,198·85	2,04,18,413·30
2,41,81,073·25	14,24,229·65	2,56,05,302·90	3. Faculty of Arts & Social Sciences	2,42,71,078·55	16,14,176·20	2,58,85,254.75
2,29,04,320.98	36,44,233.89	2,65,48,554.87	4. Faculty of Science	2,52,33,078·45	33,11,895·54	2,85,44,971·99
65,56,774·58	2,46,442·50	68,03,217·08	5. Faculty of Law	72,88,342·85	1,46,662·70	74,35,005·55
19,45,791·25	27,329.89	19,73,121·14	6. Faculty of Music & Fine Arts	19,93,085·60	18,096.00	20,11,181·60
29,05,698·82	1,84,635·85	30,90,334·68	7. Faculty of Mathematics	29,10,550·45	1,42,813·70	30,53,364·15
3,36,491·60	5,46,736·59	8,83,228·19	8. Faculty of Medical Sciences & Technology	3,57,738·40	6,32,824·18	9,90,562·58
22,42,499·48	2,20,020·48	24,62,519·96	9. Faculty of Management Studies	24,28,831·25	1,45,388·43	25,74,219·68
38,48,480·65	2,58,533·17	41,07,013·82	10. Faculty of Education	38,52,596·90	2,36,163·37	40,88,760·27
69,05,151·64	21,11,398·78	90,16,550·42	11. South Delhi Campus	83,12,227·70	28,42,741·22	1,11,54,968·92
80,20,447·78	9,01,220·65	89,21,677·43	12. Delhi University Library System	87,35,982·60	11,26,633·68	98,62,616·28
4,64,013·23	39,253·77	5,03,267·00	13. Directorate of Hindi Impli. Centre	5,22,951·80	45,361·65	5,68,313·45
11,12,482·70	83,76,948·33	94,89,431·03	14. Students' Facilities	11,62,705·42	82,65,345·58	94,28,051·00
26,65,690·88	1,46,05,491·68	1,72,71,182·56	15. Staff Benefits	33,36,039·50	2,23,62,554·25	2,56,98,593·75
—	4,52,786·20	4,52,786·20	16. Grants & Contribution	—	5,55,541·80	5,55,541·80
52,61,562·10	89,56,239·16	1,42,17,801·26	17. Works, Maintenance & Repairs	58,82,266·43	93,72,797·65	1,52,55,064·08
2,72,380·25	—	2,72,380·25	18. Study Leave	1,55,113·30	—	1,55,113·30
8,14,293·30	14,19,625·62	22,33,918·92	19. Non-Collegiate Women's Edu. Board	8,64,265·35	13,93,614·40	22,57,879·75
2,11,871·10	4,07,221·42	6,19,092·52	20. Graphic Arts Centre	2,57,691·00	1,23,336·28	3,81,027·28
12,34,887·65	28,35,881·06	40,70,768·71	21. Delhi University Computer Centre	13,94,169·10	3,80,713·07	17,74,882·17
10,37,576·55	—	10,37,576·55	22. Financial Implications due to grant of additional D.A.	—	—	—
11,32,05,638·87	6,45,33,973·89	17,77,39,612·76	TOTAL–I	12,18,18,832·86	7,53,08,691·75	19,71,27,524·61

Rs.	Ps.	Rs.	Ps.	Rs.	Ps.	II. PLAN DEVELOPMENT GRANT ACCOUNT	Rs.	Ps.	Rs.	Ps.	Rs.	Ps.
						(a) Fifth Plan Scheme including South Delhi Campus		—		—		—
6,31,034	·35	5,21,698	·65	11,52,733	·00	(b) Sixth Plan Scheme	2,59,646	·00	4,01,387	·08	6,61,036	·08
	—	(—)4,48,682	·76	(—)4,48,682	·76	(c) Centre of Advance Studies & Research		—		—		—
3,85,684	·40	10,21,815	·32	14,07,499	·72	(d) Seventh Plan Schemes	20,63,839	·91	30,39,144	·94	51,02,984	·85
10,16,718	·75	10,94,831	·21	21,11,549	·96	TOTAL—II	23,23,488	·91	34,40,532	·02	57,64,020	·93
11,42,22,357	·62	6,56,28,805	·10	17,98,51,162	·72	TOTAL-I & II	12,41,42,321	·77	7,87,49,223	·77	20,28,91,545	·54
	—		—		—			—		—		—
11,42,22,357	·62	6,56,28,805	·10	17,98,51,162	·72	GRAND TOTAL	12,41,42,321	·77	7,87,49,223	·77	20,28,91,545	·54

Notes on Accounts :

The expenditure during the year 1988–89 also includes advance charged to final heads of the account awaiting adjustment as on 31–3–1989 to the extent indicated below :

1. Paid to the employee towards L.T.C.	Rs.	37,920
2. Paid to the Department for incurring contingency expenditure etc.	Rs.	30,57,646
		30,95,566

STATEMENT NO. 3

ABSTRACT OF RECEIPT & PAYMENT FOR THE YEAR—1988-89

Name of the Account	Receipt	Payment
1	2	3
	Rs. Ps.	Rs. Ps.
1. Non-Plan Account (maintenance Grant Account)	25,14,40,731 ·62	25,77,45,405 ·43
2. Plan Develoment Account	3,26,08,633 ·32	4,14,53,683 ·46
3. Miscellaneous Account	46,43,883 ·03	36,57,235 ·93
4. (i) Provident Fund Account (DU-40)	2,08,38,235 ·30	1,86,20,841 ·10
(ii) Contibutory Provident Fund Account (DU-109)	7,92,60,536 ·89	8,54,89,590 ·20
(iii) G. P. F. Account (DU-106)	2,09,54,399 ·93	1,86,95,489 ·56
(iv) C. P. F. Account Refundable to U. G. C. (DU-107)	4,23,51,074 ·18	2,19,21,849 ·09
5. Depreciation Reserve Fund Account (C & I-216)	9,61,197 ·91	12,34,402 ·70
6. Publication Fund Account (DU-35)	67,517 ·65	72,025 ·00
7. Vice-Chancellor's Students Fund Account (DU-31)	1,31,284 ·30	1,66,050 ·00
8. Endowment Fund Account	46,74,393 ·75	44,58,655 ·65
9. Conveyance Loan Fund Account (C & I-100)	2,83,225 ·60	3,37,912 ·85
10. House Building Loan Fund A/c (C & I-258)	2,37,92,057 ·51	2,22,63,977 ·27
11. Publication Revolving Fund Account (C & I-264)	25,470 ·24	857 ·50
12. Royalty Account Deptt. of English (C & I-282)	83,469 ·07	74,418 ·53
13. Publication Oriental Insects Fund (SB A/c No. 344)	15,510 ·90	10,899 ·95
14. Directorate of Hindi Medium Implementation Centre (C & I-309)	15,39,991 ·91	10,20,558 ·00
15. Science Caution Money A/c (C & I-70)	95,269 ·25	87,186 ·20
16. Library Deposit Account (C & I-140)	11,24,740 ·00	93,523 ·71
17. C. S. I. R. Fellowship Account (C & I-99)	87,10,243 ·00	98,26,103 ·84
18. U. G. C. Fellowship Account (C & I-131)	80,10,030 ·30	81,58,212 ·28
19. Other Bodies Scholarships Accounts (C & I-165)	16,67,944 ·20	23,85,574 ·11
20. Fellowship/Scholarships Account (Deptt. of Education) (C& I-152)	19,526 ·70	20,395 ·00
21. Foreign Student Scholar Account (C& I-4016)	4,47,342 ·00	4,58,227 ·00
22. Research Schemes Account (C & I-148)	2,74,43,791 ·20	2,90,75,183 ·60
23. Research Project Account (Department of Social Work)	5,80,834 ·72	5,68,275 ·83
24. D. O. E. Research Scheme (C & I-280)	2,72,476 ·50	2,75,238 ·00
25. Research Schemes A/c (C& I-384)	14,72,927 ·50	8,96,464 ·00
26. Seminar and Summer Institute Account (C& I-252)	20,56,316 ·94	21,86,517 ·00
27. Remittances & Deposit Account (Deptt. of Education)	61,970 ·00	81,552 ·00
28. Delhi University Staff Qrts. Account (C & I-313)	29,24,532 ·14	29,65,944 ·55
29. Case Material Scheme A/c		
(i) Campus Law Centre (C& I-390)	2,46,832 ·15	2,52,552 ·00
(ii) E.L.C. No. I (S. B. A/c—12752)	—	—
(iii) E.L.C. No. I (S. B. A/c—14974)	1,82,300 ·08	1,43,514 ·00
(iv) E.L.C. No. II (S.B. A/c-7803)	1,02,860 ·60	1,22,487 ·00

1	2	3
30. Japanese grant Account (C & I–361)	34,125·52	7,31,861·00
31. Asiad'82 A/c (C & I–288)	13,679·94	—
32. Foreign Currency A/c (C & I–426)	(—) 26,707·90	3,429·00
33. Faculty Development Fund (S. B. A/c No. 297)	3,350·67	—
34. Delhi University Working Women's Hostel. Account (C & I A/c–356)	1,455·85	—
35. N. S. S. Account	19,51,222·15	16,18,778·61
36. Delhi University Adult & Continuing Education Account (C & I–336)	7,83,089·50	10,46,281·95
37. Delhi University Property Tax Account (C&I–357)	2,95,627·11	2,69,982·00
38. Group Insurance Scheme (C & I–374)	71,87,072·09	70,82,869·64
39. Publication Account (Deptt. of Slavic Study) (C. & I–455)	35,190·45	35,000·00
40. Publication Fund Account (Deptt. of M.E.L.) (C & I–456)	35,190·50	35,000·00
41. **Admission Processing Charcgcs A/c**—Faculty of Management Studies & Deptt. of Commerce (C & I–449)	7,81,386·65	5·00
42. **Admission Processing Charges**—Faculty of Law & Deptt. of Computer Science (C& I–460)	74,062·50	—
	55,02,60,295·42	54,56,44,009·5

STATEMENT NO. 4

CASH AT BANK (AS PER CASH BOOK)

Name of the Account	As on 1–4–1988	As on 31–3–1989
1	2	3
1. **NON-PLAN ACCOUNT**	Rs. P.	Rs. P.
(i) General Fund Saving Bank A/c (C & I–212)	61,34,669·67	1,06,58,687·45
(ii) Maintenance Grant A/c No. I	(—) 4,60,799·18	22,00,459·53
(iii) Maintenance Grant A/c No. II	8,39,123·97	(—)2,43,930·88
(iv) Maintenance Grant A/c No. III	50,00,000·00	(—)9,05,616·03
(v) Evening Law Centre No. I Account	1,76,208·36	97,881·56
(vi) Evening Law Centre No. II Account	42,699·06	1,37,396·16
(vii) South Delhi Campus General Fund A/c	15,40,161·25	8,82,004·42
viii) Department of Social Work Account	6,070·69	6,975·05
(ix) Non–Collegiate Women's Education Board A/c (C & I–326)	16,10,669·55	40,804·05
(x) Department of Education Account	16,494·25	9,975·12
(xi) External Candidates Cell Account (C & I–325)	8,32,333·25	(—)12,376·65
(xii) Computer Centre (S.B. A/c No. 234)	14,53,911·35	222·89
(xiii) Departmental Receipt (S. B. A/c No. 445)	—	(—)80,476·65
Total Cash Balance under Non–Plan A/c	1,71,91,542·22	1,27,92,006·02

1	2	3
	Rs. P.	Rs. P.
2. PLAN DEVELOPMENT ACCOUNT		
(i) Plan Development Current Account	2,03,237 ·58	5,32,630 ·81
(ii) Plan Development Savings Bank Account (C & I-211)	93,14,890 ·18	4,42,256 ·30
(iii) South Delhi Campus	6,34,209 ·07	3,14,318 ·92
(iv) Department of Education	11,734 ·30	(—)9,713 ·70
(v) Department of Social Work	1,761 ·88	1,761 ·88
Total Cash Balance under Plan A/c	1,01,65,833 ·01	12,81,254 ·21
3. MISCELLANEOUS ACCOUNT		
(i) Current A/c	6,22,466 ·69	1,00,037 ·87
(ii) Saving Bank A/c (C&I-213)	15,07,868 ·24	11,56,538 ·71
Total Cash Balance under Miscellaneous A/c	21,30,334 ·93	12,56,576 ·58
4. (i) Provident Fund A/c (DU-40)	7,80,706 ·73	29,98,100 ·93
(ii) Contributory Provident Fund A/c (DU-109)	83,94,489 ·23	21,65,435 ·92
(iii) G.P.F. Account (DU-106)	33,92,725 ·78	56,51,636 ·15
(iv) C. P. F. Account Refundable to U. G. C. (DU-107)	45,04,932 ·50	2,49,34,157 ·59
5. Depreciation Reserve Fund A/c (C&I-216)	12,94,241 ·68	10,21,036 ·89
6. Publication Fund A/c (DU-35)	63,584 ·02	59,076 ·67
7. Vice-Chancellor's Students Fund A/c (DU-31)	6,78,587 ·70	6,43,822 ·00
8. Endowment Fund Account	40,16,658 ·56	42,32,396 ·66
9. Conveyance Loan Fund Account (C&I-100)	62,214 ·45	7,527 ·20
10. House Building Loan Fund A/c (C&I-258)	84,02,811 ·04	99,30,891 ·28
11. Publication Revolving Fund Account (C&I-264)	1,31,168 ·36	1,55,781 ·10
12. Royalty Account (Deptt. of English) (C&I-282)	21,463 ·31	30,513 ·85
13. Publication Orriental Insects Fund (S. B. A/c-344)	55,874 ·85	60,485 ·80
14. Directorate of Hindi Medium Implementation Centre (C&I-309)	5,75,724 ·56	10,95,158 ·47
15. Science Caution Money A/c (C&I-70)	87,525 ·53	95,608 ·58
16. Library Deposit Account (C&I-140)	1,88,137 ·71	12,19,354 ·00
17. C.S. I.R. Research Fellowship Account (C&I-99)	23,63,914 ·59	12,48,053 ·75
18. U. G. C. Research Fellowship Account (C&I-131)	1,03,844 ·08	8,55,652 ·10
19. Other Bodies Scholarships Account (C&I-165)	15,47,026 ·03	8,29,396 ·12
20. Fellowship/Scholarships Account— Deptt. of Education (C&I-152)	18,269 ·80	17,401 ·50
21. Foreign Student Scholar Account (C&I-4016)	1,62,259 ·10	1,51,374 ·10
22. Research Schemes Account (C&I-148)	53,18,944 ·47	37,06,752 ·07
23. Research Project A/c (Deptt. of Social Work)	5,044 ·85	17,603 ·74
24. D. O. E. Research Schemes (C&I-280)	1,03,869 ·35	1,01,107 ·85
25. Research Schemes Account (C&I-384)	8,88,769 ·15	14,65,232 ·65
26. Seminar/Summer Instt. Account (C&I-252)	11,52,916 ·97	10,22,716 ·91

1	2	3
	Rs. P.	Rs. P.
27. Remittances & Deposit Account (Deptt. of Education)	89,026·77	69,444·77
28. Delhi University Staff Quarters Account (C&I-313)	3,00,938·11	2,35,122·20
29. Case material Scheme A/c		
(i) Campus Law Centre (C&I-390)	16,315·55	10,595·70
(ii) E. L. C. No. I (S. B. A/c 12742)	75·00	75·00
(iii) E. L. C. No. I (S.B. A/c 14974)	36,341·10	75,127·15
(iv) E. L. C. No. II (S. B. A/c 7803)	37,417·05	17,790·65
30. Japanese Grant Account (C&I-361)	8,40,457·85	1,51,732·40
31. Asiad '82 A/c (C&I-288)	2,18,093·64	2,31,743·50
32. Foreign Currency Ac/ (C & I-1426)	31,230·75	1,143·85
33. Faculty Development Fund (S. B. A/c No. 297)	3 945·28	7,195·95
34. D. U. Working Women's Hostel A/c (C. & I-356)	22,833·20	24,289·05
35. N. S. S. Account	20,26,310·30	23,58,753·84
36. Delhi University Adult & Continuing Education Account (C&I-336)	4,93,882·97	2,30,600·52
37. Delhi University Property Tax Account (C&I-357)	47,25,382·84	47,51,027·95
38. Group Insurance —Scheme (C&I-374)	61,570·03	1,65,772·48
39. Publication A/c—Deptt. of Slavic Studies (C&I-455)	—	190·45
40. Publication Account Deptt. of M.E. L. (C&I-456)	—	190·50
41. **Admission Processing Charges Account**—Faculty of Management Studies & Deptt. of Commerce (C&I-449)	—	7,81,381·65
42. **Admission Processing Charges Account**—Faculty of Law and Deptt. of Computer Science (C&I-460)	—	74,062·50
	8,36,16,166·03	8,82,32,451·91

UNIVERSITY OF DELHI

NOTES

1. **Inter Bank Transfers :**

As on 31-3-1989, the following Inter Bank Transfers made during the year 1988-89 and earlier years remained unadjusted :

S. No.	From	To	Amount Rupees
1.	Maintenance Grant A/c	Delhi University Press A/c	20,02,000
2.	Do.	Miscellaneous A/c	31,00,000
3.	Plan Development A/c	Maintenance Grant A/c	52,00,000
4.	Do.	Miscellaneous A/c	6,60,000
5.	Miscellaneous A/c	Delhi University Press	5,51,000
6.	Research Scheme A/c (C&I-148)	Maintenance Grant A/c	30,00,000
7.	N. S. S. (Deptt. of Social Work)	Maintenance Grant A/c	2,00,000
8.	Miscellaneous A/c	M. M. Dhar Endowment Fund (C&I-214)	1,00,000
9.	Directorate of Hindi Medium Implementation Centre A/c (C&I-309)	Research Schemes A/c (C&I-148)	5,00,000
10.	Foreign Student Scholar A/c (C&I-4016)	Case Material Scheme A/c (C&I-390)	20,000

2. Rectification of misclassification in the Cash Books :

The following Inter Bank Transfers due to Misclassification in Cash Books relating to 1988–89 were required to be carried out during 1989–90: —

S. No.	From	To	Amount
			Rs. Ps.
1.	Maintenance Grant A/c	Plan Development A/c	1,155·50

(R. K. GOEL)
ASSISTANT REGISTRAR (A/Cs–I)
UNIVERSITY OF DELHI,
DELHI

(K.MUTHU KUMAR)
FINANCE OFFICER
UNIVERSITY OF DELHI,
DELHI

(R.S. GUPTA)
TREASURER
UNIVERSITY OF DELHI
DELHI.

STATEMENT NO. 5

DELHI UNIVERSITY PRESS

BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 1989

As on 31-3-1988	ASSETS		As on 31-3-1989
Rupees			*Rupees*
7,27,776	1. Machinery, Furniture & Equipment	19,62,128	
	Less Depreciation	12,75,276	
			6,86,852
2,62,788	2. Composing Materials	7,76,288	
	Less Depreciation	5,40,790	
			2,35,498
16,32,825	3. Amount Receivable		13,66,244
1,04,920	4. **Stock in Hand :**		
	(a) Raw Material		1,22,744
	(b) Finished Goods		24,158
1,18,939	5. Work in Progress		3,96,142
1,000	6. Permanent Advance		1,000
1,82,421	7. Cash at Bank		1,99,385
11,260	8. Festival Advance		10,460
25,45,587	9. Loss (Accumulated)		23,01,735
53,87,516	Total		53,44,218
	FUNDS & LIABILITIES		
25,000	1. **Depreciation Reserve Fund**		25,000
	2. **Grants :**		
1,62,442	(a) U. G. C. Special Grants		1,62,442
9,08,764	(b) Grant out of Block Grants		9,08,764
12,42,544	(c) Grant from Ford Foundation		12,42,544
	3. **Sundry Creditors :**		
31,848	(a) Receipts relating to other departments		34,281
1,15,865	(b) Deduction from Salary Bills		1,21,715
4,12,331	(c) Bills Payable		2,69,944
	4. **Loans & Advances :**		
17,722	(a) Advance for work to be done		23,528
24,68,000	(b) Inter Bank Transfer		25,53,000
3,000	(c) Earnest Money		3,000
53,87,516	Total		53,44,218

NOTES ON ACCOUNTS :

ASSETS : Sl. No. 3 Amount Receivable

Out of the outstanding amount of Rs. 13,66,244/- an amount of Rs. 4,42,930.22 is due from the indentors other than the university and its departments.

MANAGER
DELHI UNIVERSITY PRESS
DELHI

FINANCE OFFICER
DELHI UNIVERSITY
DELHI.

TREASURER
DELHI UNIVERSITY
DELHI.

STATEMENT NO. 6

Profit and Loss Account for the Year 1988-89

S. No. No.	EXPENDITURE		Current Year Rs.	Previous Year Rs.	INCOME		Current Year Rs.	Previous Year Rs.
1.	**Opening Stock :**				1.	(a) Printing & Binding Bills	33,10,762	
	(a) Raw Materials		1,04,920	89,434		(b) Sale of Waste Paper	53,670	
	(b) Finished Goods		—	—		(c) Sale of Tender Form	360	
2.	Work in Progress		1,18,939	1,38,722		(d) Training Charges etc.	4,047	
						(e) Other receipts	1,289	
							33,70,128	42,83,019
3.	Pay and allowances	22,08,756			2.	**Closing Stock :**		
	O.T.A.	19,986						
	L.T.C.	22,559				(a) Raw Materials	1,22,744	1,04,920
	Tution Fees	2,940				(b) Finished Goods	24,158	"
	E.P. F. & C.P.F.	1,77,962						
	E.S.I.C.	44,492						
	Bonus	1,21,237						
	Gratuity	39,233	26,37,165	25,82,913	3.	Work in Progress	3,96,142	1,18,939
4.	Purchase of Raw Materials		5,04,427	4,76,638				
5.	Misc. Cont. Expenditure		1,11,439	1,00,866				
6.	Rent, Rates & Taxes		6,417	5,085				
7.	Work done through outside agencies		2,87,267	6,20,057				
8.	**Depreciation :**							
	(a) Composing Material		31,533	30,229				
	(b) Machine		58,705	63,223				
9.	Bank charges		370	—				
10.	Profit		51,990	3,99,641				
	TOTAL	Rs.	39,13,172	45,06,878			39,13,172	45,06,878

CONSUMPTION OF RAW MATERIALS FOR THE YEAR 1988-89

ITEMS	Opening Balance as on 1-4-1988	Total bills paid during the year 1988-89	Less bills paid in r/o previous year's Purchase	Add bills payable as on 31-3-89	Raw Material purchased during the year 1988-89	Raw Material consumed during the year 1988-89	Closing Stock of Raw materials as on 31-3-1989
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Paper	89,457	4,28,445	97,805	99,353	4,29,993	4,23,231	96,219
Binding Materials	11,101	48,368	4,015	9,536	53,889	45,19	19,791
Mono Spools	—	2,568	—	—	2,568	2,568	—
Lubricant	—	6,029	—	—	6,029	6,029	—
Ink	4,362	11,948	—	—	11,948	9,577	6,733
TOTAL	1,04,920	4,97,358	1,01,820	1,08,889	5,04,427	4,86,604	1,22,743

STATEMENT NO. 7

Abstract of Receipt & Payment and Cash Balance

		Rs. Ps.
	Opening Balanceas per Cash Book as on 1-4-1988 . .	=1,82,421·71
Add :	Receipt during the year including temporary transfer . . .	=48,68,757·59
Less :	Payment during the year including temporary transfer . .	=48,51,793·87
	Closing Balance as per Cash Book as on 31-3-1989 . .	=1,99,385·43

Note : 1. Out of Rs. 19,02,000·00 transferred from Maintenance Grant Account during earlier years remained unadjusted. A further transfer of Rs. 1,00,000·00 was made during 1988-89. Hence Rs. 20,02,000·00 remained unadjusted as on 31-3-1989.

2. The amount of Rs. 5,01,000·00 transferred from Miscellaneous Account during earlier years remained unadjusted. A further transfer of Rs. 50,000·00 was made during 1988-89. Hence an amount of Rs. 5,51,000·00 remained unadjusted as on 31-3-1989.

(R. K. GOEL)
ASSISTANT REGISTRAR (A/Cs-I)
UNIVERSITY OF DELHI
DELHI

(K. MUTHU KUMAR)
FINANCE OFFICER
UNIVERSITY OF DELHI
DELHI

(R. S. GUPTA)
TREASURER
UNIVERSITY OF DELHI
DELHI

नियंत्रक, भारत सरकार मुद्रणालय फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1990
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI 1990